डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक,

कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

1– मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री शैलेन्द्र सक्सेना, निवासी–एम0आई0जी0 ए0–3, सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।
2– मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री आलोक कुमार सिंह, निवासी–बी1/289, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3– अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव/सचिव, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6– निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
7– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0 प्र0, 5 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
8– सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, 17/9 विन्डसर पैलेस, योजना भवन के पीछे, लखनऊ।
9– प्रो0 असीम मुखर्जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज–211 002
10– प्रो0 एन0 के0 तनेजा, पूर्व कुलपति, 606/3, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ– 250 007
11– डॉ0 गनपत सिंह कश्यप, निवासी–धामपुर, बिजनौर।
12– प्रो0 रवि शंकर सिंह, भौतिक विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
13– डॉ0 विनोद कुमार सिंह, आचार्य, अंग्रेजी, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14– डॉ0 अश्वनी कुमार दुबे, आचार्य, राजनीतिशास्त्र, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 1601 /फा0सं0–36(सप्तम्)/डा.श.मि.रा.पु.वि./कार्य0परि0/2022–23 दिनाँकः 27 अगस्त, 2022

विषयः– **डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनांकः 19 अगस्त, 2022 का कार्यवृत्त प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक दिनाँक 19 अगस्त, 2022 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः– वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

.डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
की मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक
दिनाँकः 19 अगस्त, 2022 का कार्यवृत्त

समय– अपराह्न 4:00 बजे
स्थान– पंचम तल स्थित सभागार,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 40वीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

<table>
<tr><th>बिन्दु सं0</th><th>कार्यवाही</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1/40</td><td>मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।</td></tr>
<tr><td>निर्णयः–विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद 39वीं बैठक दिनांकः 13 जून, 2022 का कार्यवृत्त पत्रांकः 658/फा0सं0–36(सप्तम)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./कार्य परिषद/2022–23 दिनांकः 16 जून, 2022 द्वारा मा0 कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया। कार्यवृत्त के सम्बन्ध में मा0 सदस्यगण द्वारा मा0 कार्य परिषद 39वीं बैठक दिनांकः 13 जून, 2022 के एजेण्डा बिन्दु–24/39(2) के प्रस्तर–2 में "शिक्षकवृन्द की सेवाओं को समाप्त किये जाने" के स्थान पर "शिक्षकवृन्द के चयन को समाप्त किये जाने" सम्बन्धी लिपिकीय त्रुटि सुधार किये जाने तथा एजेण्डा बिन्दु संख्या–24/39(4) के प्रस्तर–4 के अन्तर्गत "अभ्यावेदन के परीक्षण हेतु समिति का गठन कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।" को विलोपित किये जाने सम्बन्धी सुधार के साथ उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि प्रदान की गयी।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2/40</td><td>मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13 जून, 2022 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>बिन्दु सं0</th><th>कार्यवाही</th><th>अनुपालन आख्या</th></tr>
<tr><td>1/39</td><td>मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।
निर्णयः– विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांकः 19 अप्रैल, 2022 का कार्यवृत्त पत्रांकः 142/फा0सं0–36(षष्ठम)/डी.एस.एम.एन.आर.यू./कार्य परिषद /2022–23, दिनांकः 21 अप्रैल, 2022 द्वारा मा0 कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया। कार्यवृत्त के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि प्रदान की गयी।</td><td>कोई कार्यवाही नहीं किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>2/39</td><td>मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2022 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णयः–मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन आख्या से मा0 सदस्य अवगत हुये तथा मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक के बिन्दु संख्या 2/38 के कियान्वयन की अद्यतन स्थिति एवं बिन्दु सख्या 13/38 (ख) के सन्दर्भ में गैर–शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत विज्ञापन संख्या–49/2021–22 के विज्ञापन में उल्लिखित त्रुटि को स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा, त्रुटि हेतु कौन उत्तरदायी है, क्या कार्यवाही की गयी, पुनर्विज्ञापन के संबंध में एक सुविचारित विस्तृत कार्ययोजना आदि के साथ मा0 कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश/निर्णय प्रदान करते हुए शेष अन्य बिन्दुओं पर सहमति प्रदान की गयी।</td><td>अनुपालन किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>3/39</td><td>विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु तैयार किये गये एकेडमिक (शैक्षणिक) कैलेण्डर पर विचार।
निर्णयः–मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु तैयार</td><td>अनुपालन किया जा रहा है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

<table>
<tr><td></td><td>किए गए एकेडमिक (शैक्षणिक) कैलेण्डर का अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>4/39</td><td>विश्वविद्यालय में अनुबन्ध के आधार पर निदेशक, प्लेसमेण्ट की सेवाएं लिए जाने के सम्बन्ध पर विचार।

मा0 कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 04.07.2019 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में निदेशक, प्लेसमेण्ट का मानदेय रू0 50,000 प्रतिमाह की दर से 02 शैक्षिक सत्र अर्थात् 30 मई, 2022 तक अनुबन्ध के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिस पर प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर वाक–इन–इण्टरव्यू कराये जाने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए श्री बिराग दीक्षित के चयन की संस्तुति की गई।
तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 1803/ फा0सं0–1477/2020–21, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को निम्न शर्तों के अधीन प्रथमतः 01 वर्ष के लिए श्री बिराग दीक्षित को संविदा के आधार पर निदेशक, प्लेसमेण्ट पर संविदा आधारित नियुक्त–पत्र निर्गत किया गया(विस्तृत कार्य एवं दायित्व का विवरण अनुबन्ध के अनुसार होगा)।
श्री बिराग दीक्षित द्वारा विश्वविद्यालय में संविदा/अनुबन्ध आधारित शर्तों के अधीन निदेशक, प्लेसमेण्ट्स के पद पर संविदा के आधार पर दिनांक 11.01.2021 को योगदान किये जाने उपरान्त उनके द्वारा किये गये कार्यों का समय–समय पर अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मध्य अवधिक मूल्यांकन के उपरान्त इनकी सेवाएं मा0 कार्य परिषद के निर्णय के अनुसार 02 शैक्षिक सत्र दिनांक 31.05.2022 तक विस्तारित की गई।
श्री बिराग दीक्षित द्वारा दिनांक 11.01.2021 से वर्तमान तक के 17 माह के कार्यकाल में विभिन्न कम्पनियों से समन्वय स्थापित करते हुए 194 से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलबध कराये गये है तथा विगत वर्ष वैश्विक महामारी के पश्चात् निरन्तर प्रयास करते हुए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने का कार्य किया गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु प्लेसमेण्ट सेल क्रियान्वित है, इसी के दृष्टिगत इस विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों अध्ययनरत् विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना है, जिस हेतु निदेशक, प्लेसमेण्ट की सेवाएं लिये जाने की नितान्त आवश्यकता है।
निर्णयः– उपर्युक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय प्रदान किया गया कि पूर्व में अनुबन्ध के आधार पर निदेशक, प्लेसमेण्ट के पद पर चयनित श्री बिराग दीक्षित की सेवाएं 01 वर्ष के लिए विस्तारित की जाय, तत्पश्चात् श्री दीक्षित द्वारा दी गयीं सेवाओं के कार्य निष्पादन का पुर्नमूल्यांकन करने के पश्चात् उनके सराहनीय कार्य प्रदर्शन के आधार पर ही 01 वर्ष के लिए उनकी सेवाओं को पुनः विस्तारित किये जाने पर विचार किया जायेगा।</td><td>विश्वविद्यालय के पत्रांक– 765/ फा0सं0–1477 /वि0 वि0/डा.श.मि.रा.पु.वि.वि./ 2022–23, दिनांकः 25 जून, 2022 द्वारा श्री दीक्षित द्वारा की गई सेवाओं के दृष्टिगत निदेशक, प्लेसमेण्ट के पद पर अनुबन्ध (मानदेय के रूप में पूर्व निर्धारित दर रू0 50000/– प्रतिमाह पर) दिनांक 01 जून, 2022 से दिनांक 31 मई, 2023 तक विस्तारित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>5/39</td><td>विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकवृन्द को निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

निर्णयः–मा0 कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 04.07.2019 के निर्गत पत्रांक 670/दिनांकः 06 जुलाई, 2019 द्वारा बिन्दु सं0–13/24 विश्वविद्यालय में शिक्षकवृन्द को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा तत्संबंधी प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्देश प्रदान किए गए :–
"विश्वविद्यालय में कार्यरत् वे शिक्षकवृन्द जिनकी परीवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है तथा स्थायीकरण किया जा चुका है। केवल उन्हें ही किसी अन्य विभाग में आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया, लेकिन किसी शिक्षकवृन्द को एक वर्ष में मात्र 02 अनापत्ति प्रमाण पत्र ही निर्गत किये जाने का निर्णय प्रदान किया गया।"
उक्त व्यवस्था के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2021–22 में निम्नलिखित शिक्षकवृन्द को विश्वविद्यालय स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है :–
<table>
<tr><th>क्र0सं</th><th>नाम व पदनाम</th><th>अन्य संस्थान में आवदेन हेतु निर्गत अनापत्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री शैल शाक्य, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (विधि)</td><td>संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में (प्रारम्भिक)–2022 में प्रतिभाग करने हेतु</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>डॉ0 सीताराम पाल, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (श्रवणबाधितार्थ)</td><td>डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत श्रवणबाधितार्थ विभाग में प्रोफेसर</td></tr>
</table></td><td>अनुपालन किया गया।</td></tr>
</table>

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय...

		मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में विशेष शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर (विशेष शिक्षा)
3.	डॉ0 आद्या शक्ति राय, एसोसिएट प्रोफेसर (दृष्टिबाधितार्थ)	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग में Professor (Learning Disability/ Visual Impairment)
		जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के शैक्षिक अध्ययन विभाग में प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र)
4.	डॉ0 दीपक चन्द्र शर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (माइक्रोबायोलॉजी)	दिल्ली विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर
		हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के न्यूट्रीशन बायोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर
5.	डॉ0 दुष्यन्त त्यागी, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (गणित एवं सांख्यिकी)	दिल्ली विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में असिस्टेण्ट प्रोफेसर
		दिल्ली विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर
6.	डॉ0 सुधा राव, विशेष शिक्षक (दृष्टिबाधितार्थ)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेण्ट प्रोफेसर
		दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर
7.	श्रीमती पूजा, विशेष शिक्षक (दृष्टिबाधितार्थ)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेण्ट प्रोफेसर
8.	डॉ0 अशोक कुमार मिश्र, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान	सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर में प्रोफेसर (भौतिक विज्ञान)
9.	डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (रसायन विज्ञान)	दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर
10.	डॉ0 विजय शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर (दृष्टिबाधितार्थ)	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा विज्ञापित प्रोफेसर, विशेष शिक्षा संकाय
11.	डॉ0 दिनेश कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (दृष्टिबाधितार्थ)	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग हेतु एसोसिएट प्रोफेसर (दृष्टिबाधितार्थ)
12.	डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी)	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज में सदस्य पद
13.	डॉ0 बृजेश चन्द्र रावत, असिस्टेण्ट प्रोफेसर इतिहास	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर पद हेतु
14.	डॉ0 ज्योति गौतम, असिस्टेन्ट प्रोफेसर हिन्दी	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के हिन्दी प्रोफेसर
15.	डॉ0 यशवन्त कुमार वीरोदय, असिस्टेन्ट प्रोफेसर हिन्दी	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ हिन्दी प्रोफेसर
16.	डॉ0 कौशिकी सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर वाणिज्य	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के कामर्स एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में प्रोफेसर
17.	डॉ0 शशि सौरव, असिस्टेण्ट प्रोफेसर (राजनीतिशास्त्र)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा राजनीति विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर
18.	डॉ0 आशुतोष पाण्डेय, एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन)	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा राजनीति विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर
19.	डॉ0 चन्द्र कुमार दीक्षित, प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान	राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलसचिव पद हेतु
20.	श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उप कुलसचिव।

मा0 कार्य परिषद उपरोक्त निर्गत अनापत्ति से संज्ञानित हुयी।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

6/39	मा0 कार्य परिषद की 34वीं बैठक के बिन्दु संख्या– 22/34 के उप बिन्दु संख्या–5 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में निर्गत किये गये आरोप–पत्र पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 34वीं बैठक के अन्य बिन्दु संख्या–22/34 के उप बिन्दु (5) में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई रू0 99.00 लाख की धनराशि से डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा कराये गये कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रो0 पी0 राजीव नयन, आचार्य, ललित कला के विरूद्ध जांच संस्थित करते हुए, जांच हेतु श्री चन्द्र प्रकाश, सेवानिवृत्त, जिला न्यायाधीश, को जांच अधिकारी नामित किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 369/फा0सं0–832/व्य0पत्रा0/2022–23, दिनांक 21 मई, 2022 द्वारा समस्त संलग्नकों सहित आरोप–पत्र निर्गत किया जा चुका है, जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया गया।
7/39	मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक के बिन्दु संख्या– 4/35 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व शैक्षिक सत्रों में पी.एच.डी. प्रवेश कार्यक्रम में हुई अनियमितताओं पर संस्थित जांच के उपरान्त पृथक–पृथक निर्गत किये गये आरोप–पत्र पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व शैक्षिक सत्र 2014 से 2017 तक पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित शोधार्थियों के सम्बन्ध में संस्थित जांच की जांच आख्या पर मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 16. 09.2021 में लिए गये निर्णय में तत्क्रम में मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021 में बिन्दु संख्या–4/35 *''विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के प्रवेश प्रकरण पर हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा0 सामान्य परिषद की 7वीं बैठक के निर्णय के क्रम में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु समिति गठित करते हुए दो माह में सम्पूर्ण कार्यवाही/आख्या निर्णय हेतु आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा समिति का गठन किए जाने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।''* उक्त के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक–1399/ फा0सं0--1370/ पी. एच.डी.जां./डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा जांच/परीक्षण हेतु गठित एक सदस्यीय जांच समिति में सदस्य के रूप में श्री शक्ति कान्त (सेवा निवृत्त) जनपद न्यायाधीश को नामित किया गया। पी0–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी प्रकरण पर शैक्षणिक सत्र 2015–16, प्रवेश समन्वयक/निदेशक, शैक्षणिक सत्र, 2016–17 एवं 2017–18 पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम में प्रवेश समन्वयक के रूप में डॉ0 रजनी रंजन सिंह, आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग द्वारा दायित्वों का निवर्हन किया गया है। डॉ0 रजनी रंजन सिंह, आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग, प्रवेश समन्वयक शैक्षणिक सत्र 2015–16, प्रवेश समन्वयक/निदेशक, शैक्षणिक सत्र, 2016–17 एवं 2017–18 पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के विरूद्ध प्रवेश में की गयी अनियमितताओं में उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने हेतु संस्थित जांच में विश्वविद्यालय के पत्रांकः 375/फा0सं0–834/डी. एस.एम.एन.आर.यू./2022–23 दिनांकः 21 मई, 2022 द्वारा श्री शक्तिकान्त, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को जांच अधिकारी नामित करते हुए समस्त संलग्नकों सहित आरोप–पत्र निर्गत किया जा चुका है। इसी प्रकार पी0–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी प्रकरण पर शैक्षणिक सत्र 2014–15 में पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा कार्यकम में प्रवेश समन्वयक के रूप में श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव द्वारा दायित्वों का निवर्हन किया गया है। श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव द्वारा शैक्षणिक सत्र 2014–15 के पी–एच0डी0 प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के प्रवेश समन्वयक के रूप में किये गये कार्यो के विरूद्ध प्रवेश में की गयी अनियमितताओं में उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने हेतु संस्थित जांच में विश्वविद्यालय के पत्रांकः 374/फा0सं0–069/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2022–23 दिनांकः 21 मई, 2022 द्वारा श्री शक्तिकान्त, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को जांच अधिकारी नामित करते हुए समस्त संलग्नकों सहित आरोप–पत्र निर्गत किया जा चुका है। उपरोक्त निर्गत पृथक–पृथक आरोप–पत्रों पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकन कर यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।	अनुपालन किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	विश्वविद्यालय द्वारा गैर–शैक्षिक एवं तकनीकी संवर्ग के पदों पर चयन के सम्बन्ध में।	विश्वविद्यालय के पत्रांक 705/ फा0सं0 –1622/2022–23, दिनांक 20 जून, 2022 के माध्यम से आर्थोटिस्ट के चयन सम्बन्धी नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। (2) शेष पदों पर भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।
8/39	मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में तकनीकी संवर्ग के विज्ञापन संख्या–47/2021–22 एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के विज्ञापन संख्या–49/2021–22 के अन्तर्गत विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले पात्र/अर्ह अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 07 एवं 09 मई, 2022 को आयोजित कराया गया। जिसमें चयन हेतु न्यूनतम अर्हकारी कट ऑफ मार्क्स 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया था परन्तु आर्थोटिस्ट के एकल पद को छोड़कर विज्ञापित अन्य किसी भी पद हेतु किसी भी अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ अंक अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त नहीं कर पाये हैं अपितु उक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक का औसत बहुत कम रहा है। जिस कारण असिस्टेण्ट वर्कशाप मैनेजर, पब्लिक रिलेशन आफीसर (केन्द्र हेतु), सीनियर प्रोस्थेटिस्ट, प्रोग्रामर ग्रेड–1, प्रोस्थेटिस्ट, प्रोग्रामर ग्रेड–2, डिमांसट्रेटर (प्रोस्थेटिक्स एण्ड आर्थोटिक्स), सहायक अभियन्ता (सिविल), रिहैबिलिटेशन ऑफीसर, सीनियर आर्थोटिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट/ऑडियोलॉजिस्ट (ग्रेड–1) (क्लिनिकल सुपरवाईजर) पर लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 50 प्रतिशत के आधार पर कोई भी योग्य अभ्यर्थी चयन हेतु उपलब्ध नहीं हो पाया है। मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–25 (2) के उप बिन्दु में गैर शैक्षणिक संवर्ग के चयन के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है :– (2) क–चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात – (एक) कुलपति, जो समूह 'क' और समूह 'ख' के सभी अध्यापन पदों और गैर अध्यापन पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा, (दो) कुल सचिव, समूह 'ग' और समूह 'घ' के सभी गैर अध्यापन पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा, (तीन) संबंधित विभागाध्यक्ष यदि कोई हो, जो ऐसे पद जिसके लिए चयन किया जाना हो के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो, (चार) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा सिफारिश किये गये और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ परन्तु यह कि विद्या परिषद और कार्य परिषद के गठन तक ऊपर निर्दिष्ट विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। (ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन संबंधित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो, तो कुलसचिव समय–समय पर यथा संशोधित समूह 'ग' पद के लिए उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती नियमावली, 2002 (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) के उपबंधों के अनुसार चयन समिति का गठन करेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समूह–ग के पदों पर समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त किये जाने का भी प्राविधान किया गया है। उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का मा0 कार्य परिषद द्वारा अवलोकन कर निम्नानुसार निर्णय/निर्देश प्रदान किए गए:– (क) मा0 कार्य परिषद द्वारा उपर्युक्तानुसार पदों पर आयोजित लिखित परीक्षा परिणाम पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देशित किया गया कि आर्थोटिक्स के एकल पद पर हुये चयन पर नियमानुसार परिणाम घोषित करते हुये नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाय। (ख) विश्वविद्यालय में तकनीकी संवर्ग के विज्ञापन संख्या–47/2021 –22 एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के विज्ञापन संख्या–49/2021–22 के अन्तर्गत विज्ञापित शेष रिक्त पदों को पुनर्विज्ञापित किया जाय। (ग) उक्त पदों में से समूह ख के पदों पर चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (कुल निर्धारित अंको का 20 प्रतिशत साक्षात्कार हेतु निर्धारित) के आधार पर किया जाय। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक को 50 प्रतिशत का भारांक प्रदान करते हुये, अभ्यर्थी के शैक्षणिक अर्हताओं के अंकों के 30 प्रतिशत भारांक एवं साक्षात्कार को 20 प्रतिशत भारांक प्रदान करते हुये किसी पद पर अन्तिम रूप से चयन पूर्ण किया जायेगा। (घ) समूह ग के पदों (ग्रेड पे रू 4200 तक) पर चयन लिखित परीक्षा एवं शैक्षिक अर्हताओं के अंकों के आधार पर किया जाय। (ड़) उक्त पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी कट ऑफ मार्क्स 50 प्रतिशत अंक	

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	की सीमा को शिथिल करते हुए यूनतम अर्हकारी कट ऑफ मार्क्स 45 प्रतिशत अंक किया जाय। (च) लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस (पाठ्यचर्या) का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है– 1. वर्तमान घटनाचक्र (करेन्ट अफेयर्स)। 2. गणित (हाई स्कूल लेवल)। 3. सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी (सीनियर सेकेन्डरी लेवल) 4. दिव्यांगता के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न। 5. तार्किक (Reasoning & Aptitude) प्रश्न। उपरोक्त निर्धारित सिलेबस (पाठ्यचर्या) के क्रम में गैर–शैक्षिक/ तकनीकी संवर्ग के आच्छादित पदों पर लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पी) 100 प्रश्न पूछे जायेंगें। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। (छ) इसके अतिरिक्त मा0 विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांक 24 अगस्त, 2021 के बिन्दु सं0–10/20 में अनुमोदन प्रदान किया गया है कि ''यदि किसी पद के लिए 03 से कम पात्र आवेदन/आवेदक प्राप्त होते हैं, तो उसे पुर्नविज्ञापित कराया जायेगा।'' जिन पदों पर 03 से अधिक परन्तु 10 तक अभ्यर्थियों की संख्या होगी, उन पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा, चयन केवल शैक्षिक गुणांक एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।	
9/39	**उप कुलसचिव के पद पर नियुक्ति/चयन के सम्बन्ध में।** निर्णयः–मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में उप कुलसचिव के पद पर कार्यरत् डॉ0 ए0 के0 सिंह को दिनांक 31.05.2022 को सेवानिवृत्त होने से संज्ञानित होते हुये मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक के बिन्दु सं0–6/38 द्वारा उप कुलसचिव के 01 पद को भरे जाने हेतु विज्ञापन किये जाने पर निर्णय प्रदान किया गया, जिसके क्रम में उक्त पद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके सापेक्ष आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 12 मई, 2022 तथा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 14 मई, 2022 निर्धारित की गयी थी। तत्क्रम में अवगत कराना है कि उप कुलसचिव के पद उक्त अवधि तक कुल 52 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 11 अभ्यर्थी पात्र/प्रोविजनल पाए गए तथा 41 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। तदोपरान्त उप कुलसचिव के पद हेतु पात्र एवं प्रोविजनल पाये गये 11 अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय में दिनांक 05 जून, 2022 को साक्षात्कार आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव के पद के साक्षात्कार हेतु चयन समिति का गठन, विश्वविद्यालय अधिनियम की व्यवस्था एवं निर्गत शासनादेश के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में की गयी है। साक्षात्कार के दिवस साक्षात्कार हेतु 11 अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी एवं एक सहायक आचार्य की समिति गठित की गयी। साक्षात्कार के दिवस पर उपस्थित अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थियों के सत्यापन के पश्चात् तीन अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अर्ह नहीं पाये गये। साक्षात्कार के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के साक्षात्कार/ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्षात्कार की वीडियो रिकार्डिंग करके उसे परीक्षा नियंत्रक के पास अनुरक्षित किया गया है, जिसे अगले 06 माह तक अनुरक्षित किये जाने के निर्देश मा0 कुलपति महोदय द्वारा दिये गये। मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उप कुलसचिव के पद पर चयन हेतु साक्षात्कार समिति द्वारा दिनांक 05 जून, 2022 को आयोजित साक्षात्कार की संस्तुति के क्रम में उप कुलसचिव के पद हेतु श्री अनिल कुमार मिश्रा को नियुक्त किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए नियुक्ति–पत्र निर्गत किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए।	विश्वविद्यालय के पत्रांक 659/फा0सं0–1621/2022–23, दिनांक 16 जून, 2022 द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए अनुपालन किया गया।
10/39	**तत्कालीन उप कुलसचिव को ए0सी0पी0 (सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति) के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।** वित्त वेतन आयोग, उ0 प्र0 शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ प्रदान किये जाने हेतु समय–समय विभिन्न शासनादेश निर्गत किये गये हैं। विश्वविद्यालय में गैर–शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत **समूह 'क'** की श्रेणी में उप कुलसचिव के पद पर कार्यरत् रहे डॉ0 ए0 के0 सिंह की 10 वर्ष की नियमित सेवाएं दिनांक 14.02.2021 को पूर्ण होने के फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय–ज्ञाप संख्या 2713/फा0सं0–1597/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2021– 2022 दिनांक 14 मार्च,	विश्वविद्यालय के कार्यालय–ज्ञाप सं0 – 999/फा0 सं0– 197/ 2022 –23, दिनांक 11 जुलाई, 2022 द्वारा ए0 सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास

	2022 द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति ने उप कुलसचिव के पद पर कार्यरत डॉ0 ए0 के0 सिंह को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या वे0आ0–2–773/ दस–62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 में विहित प्राविधानानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) दिये जाने पर समिति द्वारा दिनांक 28 मई, 2022 को विचार करते हुए समिति द्वारा ए0सी0पी0 दिये जाने की संस्तुति की गयी है, मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त डॉ0 ए0 के0 सिंह, तत्कालीन उप कुलसचिव को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	
11/39	डॉ0 विजय शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर को भारत से बाहर प्रशिक्षण हेतु सबैटिकल लीव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुपालन किया गया।
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त डॉ0 विजय शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर को भारत से बाहर प्रशिक्षण हेतु सबैटिकल लीव स्वीकृत किये जाने पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।	
12/39	विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम के संचालन हेतु कोच को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही की जा रही है।
	मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए शासन की मंशा के अनुरूप दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा के साथ–साथ विभिन्न पैरा–खेलों के प्रति अग्रसर करने के उद्देश्य से एक बाधारहित विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण विश्वविद्यालय में किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पैरा–खेल गतिविधियों हेतु दिव्यांगजन के अनुकूल सुगम/सुविधाजनक इण्डोर एवं आउटडोर स्टेडियम स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालय में दिव्यांगजन को विभिन्न खेलों यथा बैडमिन्टन, ब्लाइण्ड क्रिकेट/व्हील चेयर क्रिकेट, जूडो (डेफ/दिव्यांगजन हेतु), ब्लाइण्ड फुटबाल, चेस, ट्रैक एण्ड फिल्ड (रनिंग, डिस्कस थ्रो एवं जेवलिन थ्रो जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु मानदेय के आधार पर योग्य प्रशिक्षक/कोच की नितान्त आवश्यकता है। अवगत कराया गया कि अभियांत्रिकी संकाय को छोड़कर विश्वविद्यालय के अन्य संकायों में सूचीबद्ध व्याख्याताओं को प्रतिदिन रू0 100/– यात्रा भत्ता तथा रू0 350/– प्रति घण्टे की दर पर भुगतान किये जाने की व्यवस्था पूर्व से प्रचलित है। निर्णयः– मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में दिव्यांगजन को विभिन्न खेलों यथा बैडमिन्टन, ब्लाइण्ड क्रिकेट/व्हील चेयर क्रिकेट, जूडो (डेफ/दिव्यांगजन हेतु), ब्लाइण्ड फुटबाल, चेस, ट्रैक एण्ड फिल्ड (रनिंग, डिस्कस थ्रो एवं जेवलिन थ्रो जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु योग्य प्रशिक्षक/कोच की सेवायें हेतु सूचीबद्ध किये जाने एवं प्रतिदिन रू0 100/– यात्रा भत्ता तथा रू0 350/– प्रति घण्टे की दर पर प्रतिदिन अधिकतम 04 घण्टे के अनुसार भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	
13/39	योग दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम का शुभारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुपालन करते हुए दिनांक 22 जून से 24 जून, 2022 तक खेलों का आयोजन किया गया।
	मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में निर्मित विशिष्ट स्टेडियम का शुभारम्भ मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के द्वारा किया जाना है, जिसमें योग के साथ–साथ पैरा–खेलों के प्रति अग्रसर करने के उद्देश्य से विभिन्न खेलों (बैडमिन्टन, ब्लाइण्ड क्रिकेट/व्हील चेयर क्रिकेट) का तीन दिवसीय आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। निर्णयः– उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।	
14/39	विश्वविद्यालय में 01 पद पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति सेवा स्थानान्तरण के आधार पर किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।	विश्वविद्यालय स्तर से विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। मात्र 01 अभ्यर्थी पात्र होने के कारण पुर्नविज्ञापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
	विश्वविद्यालय हेतु सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत पदों के सृजन शासनादेश संख्या–2893/65–2–2008–57(विविध)/2008 दिनांक 30.12.2008 में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु वर्णित व्यवस्था के क्रम में सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के सृजित पद पर नियुक्ति करने एवं उक्त हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रकिया सम्पन्न करने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
15/39	विश्वविद्यालय हेतु चिकित्सालय यूनिट के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही प्रचलित है।
	मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ चिकित्सकों को सूचीबद्ध करते हुए उनकी सेवाएं लिया जाना नितान्त आवश्यक है। अवगत कराया गया कि	

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय

		विश्वविद्यालय द्वारा अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन से विश्वविद्यालय मे सृजित चिकित्सालय यूनिट के अर्न्तगत नेत्र चिकित्सक, मनो चिकित्सक, अस्थि रोग विशेषज्ञ एवं नाक–कान–गला विशेषज्ञ के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2022 को अर्द्वशासकीय पत्र के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को अनुरोध किया गया है परन्तु वर्तमान तक उत्तर प्रतीक्षित है। विगत् लगभग ढाई वर्षों से कोविड की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत् चिकित्सकों का अभाव है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार चिकित्सकों की तैनाती सम्भव नहीं हो पाई है। उपरोक्त के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं की श्रेणी के विद्यार्थीगण अध्ययनरत/आवासित है। अतः जब तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा तैनाती नहीं की जाती हैं, तब तक की अवधि के लिए शासनादेश मे वर्णित चिकित्सको की विशिष्टताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय स्तर से प्रतिनियुक्ति अथवा प्रतिदिन प्रति विजिट (03 घण्टे के लिए प्रतिदिन रू0 3000.00 मात्र) सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती होने तक आवश्यकतानुसार पद सृजन की सीमा के अन्तर्गत चिकित्सको की सेवाओं को प्रतिदिन प्रति विजिट (03 घण्टे के लिए) के आधार पर चिकित्सकों को सूचीबद्ध किए जाने एवं तद्नुसार प्रति विजिट, 03 घंटे हेतु मानदेय धनराशि रू0 3000.00 मात्र निर्धारित करने का निर्णय प्रदान किया गया।	
	16/39	विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	कार्यवाही प्रचलित है।
		निर्णयः– मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए मा0 परिषद को अवगत कराया गया विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ छात्र–छात्राओं को खेल–कूद में अग्रसर करने के उद्देश्य से शासन द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बैरियर–फ्री आधुनिक विशिष्ट स्टेडियम पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। अतएव क्रीड़ा अधिकारी की तैनाती की नितान्त अपरिहार्यता हो गयी है। मा0 परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में इस सम्बन्ध में निदेशक, खेल निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्रांक–2053/स्था0अनु0 (2016)/ 2019–20, दिनांक 08 फरवरी, 2021 द्वारा अवगत कराया कि खेल विभाग में क्रीड़ाधिकारी पद का पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 4600 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4800 अनुमन्य कराया जा रहा है। खेल विभाग में क्रीड़ाधिकारी के 59 पद स्वीकृत हैं। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 26 जून, 2019 के सम्बन्ध में खेल अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के पत्र 1344/बयालिस–2019/, दिनांक 16.09.2019 द्वारा कार्मिक अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1/1/95–का–4/2000, दिनांक 29.07.2000 द्वारा जिसमें निम्न वेतनमान के पदों पर प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती न की जाय, के निर्देश दिये गये हैं। विश्वविद्यालय के पद सृजन शासनादेश दिनांकः 30 दिसम्बर, 2008 द्वारा सृजित क्रीड़ाधिकारी का पद ग्रेड वेतन रू0 4600 निम्न वेतनमान होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में उपरोक्तानुसार दी गयी व्यवस्था के क्रम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर क्रीड़ाधिकारी के पद को विश्वविद्यालय स्तर से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएं लिया जाना प्रस्तावित है। मा0 परिषद द्वारा उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के पद सृजन शासनादेश दिनांकः 30 दिसम्बर, 2008 द्वारा सृजित क्रीड़ाधिकारी का पद ग्रेड वेतन रू0 4600 पर क्रीड़ाधिकारी के पद को विश्वविद्यालय स्तर से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	17/39	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से विश्वविद्यालय में कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।	अनुपालन किया जा रहा है।
		निर्णयः– मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास, प्रशिक्षण, शोध आदि के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–5 के उपबन्ध 01 से 33 तक में विद्यार्थियों के	

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के संदर्भ में विस्तृत उपबन्ध दिये गये हैं जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन/प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राज्य सरकार के संस्थानों को राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता (जीटीपी) के रूप में सूचीबद्ध किये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। यदि विश्वविद्यालय राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में उ०प्र० कौशल विकास मिशन लखनऊ द्वारा प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य आवण्टित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अपने कैम्पस, सम्बद्ध कालेजों एवं अन्य केन्द्रों पर विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थियों को (दिव्यांगजनों को प्राथमिकता पर रखते हुए) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेगी।

यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि विश्वविद्यालय की पूर्व निर्धारित अवसरंचना में व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया है, साथ ही साथ नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दिये जाने तथा अधिकाधिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने के निर्देश समाहित किये गये हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित इस विशिष्ट प्रकार के विश्वविद्यालय में निःशक्तजनों के अध्ययन हेतु 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित है निःशक्त विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व सामान्य विद्यार्थियों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता (जीटीपी) के रूप में सूचीबद्ध होने तथा लक्ष्य आवंटित होने पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व सामान्य विद्यार्थियों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

18/39 प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजना (PMJVK) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में बहुउद्देशीय पुनर्वास केन्द्र, पुरूष एवं महिला छात्रावास का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में। — अनुपालन किया जा रहा है।

निर्णयः— प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक जन समूह संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से जन उपयोगी अवसंरचनाओं का विकास किये जाने की व्यवस्था विहित है। उक्त योजना का गहन परिशीलन एवं परीक्षण के पश्चात यह देखा गया कि विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय के पर्याप्त विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिसके लिए छात्रावास एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के पास जो भी छात्रावास उपलब्ध हैं वे अधिकांशतः दिव्यांगजनों के ही उपयोगार्थ प्रयोग में लाये जा रहे हैं। यह स्थिति तब चुनौती पूर्ण हो जाती है जब कोविड के कारण एक विद्यार्थी को छात्रावास का एक कक्ष आवंटित किया जा रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार से विश्वविद्यालय में अवसंरचनाओं के विकास हेतु धनराशि प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के जल निगम की कार्यदायी संस्था सी०एण्ड डी०एस० के माध्यम से पुरूष एवं महिला छात्रावास के लिए पृथक्--पृथक् 500--500 क्षमता के छात्रावास हेतु आगणन प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की अप्रयुक्त भूमि अली सुनहरा क्षेत्र में स्थित है जो एक तरह से अल्पसंख्यक जन संकेन्द्रण वाला क्षेत्र भी है, में बहुउद्देशीय छात्रावास भवन जिसमें स्टडी सेन्टर, कोचिंग सेन्टर, हेल्थ सेन्टर व कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु भवन आदि का प्राविधान सम्मिलित है का आगणन प्राप्त किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है :--

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पी0डब्ल्यू०डी० द्वारा निर्धारित/सत्यापित दरों के अनुसार प्रस्तुत आगणन (रू0 लाख में)
1	महिला छात्रावास (500 की क्षमता)	3268.78
2	पुरूष छात्रावास (500 की क्षमता)	3268.78
3	बहुउद्देशीय पुर्नवासन	8303.16
	कुल अनुमानित लागत	14840.72

उपर्युक्त के क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत एवं पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा सत्यापित आगणन प्रस्ताव को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने हेतु तथा भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर नियमानुसार उक्त केन्द्रों/ छात्रावासों को स्थापित एवं संचालित किये जाने पर

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय लखनऊ

	अनुमोदन प्रदान किया गया, इसी प्रकार पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति/ जन जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों के स्थापना के सन्दर्भ में प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित प्राधिकारियों को नियमानुसार प्रषित किया जाय।	
19/39	**मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में योजित वाद संख्या Writ-A 7695 of 2016 के त्वरित निस्तारण कराये जाने की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।** **निर्णयः** मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में योजित वाद संख्या Writ-A 7695 of 2016 के निस्तारण की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि पूर्व कार्य विरत कुलपति प्रो0 निशीथ राय के कार्यकाल में हुयीं अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न जांचों के माध्यम से जो नवीन तथ्य (अभिलेखीय साक्ष्यों से पुष्ट) संज्ञान में आये हैं उन्हें समाहित करते हुये Writ-A 7695 of 2016 में एक Supplementary Counter Affidavit पन्द्रह दिवस के भीतर मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाय।	अनुपालन किया जा रहा है।
20/39	**स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश एवं महालेखाकार की ऑडिट आपत्तियों पर जॉच समिति की जॉच आख्या से संबंधित निर्णय का अनुपालन।** **निर्णयः** मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश एवं महालेखाकार की ऑडिट आपत्तियों पर जॉच समिति की जॉच आख्या से संबंधित निर्णय के अनुपालन के संबंध में मा0 परिषद द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए संबंधित प्रकरण में यथाशीघ्र कार्यवाही सम्पन्न किए जाने हेतु पूर्व में गठित समिति में विश्वविद्यालय के कुलसचिव के स्थान पर एक वाह्य सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी श्री आबिद अली अंसारी, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी को नामित किये जाने का निर्णय प्रदान किया गया।	अनुपालन किया जा रहा है।
21/39	**अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए निदेशक, उप निदेशक एवं अन्य गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा आधारित सेवाओं को प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।** **निर्णयः** मा0 कार्य परिषद की बैठक में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए निदेशक, उप निदेशक एवं अन्य गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा आधारित सेवाओं को प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। तत्क्रम में मा0 सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का विस्तार/ स्वायत्तशाषी रूप से संचालन के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में निदेशक एवं उप निदेशक की सेवाएं संविदा के आधार पर प्राप्त किये जाने पर अनुमोदन निम्न निर्देशों के अधीन प्रदान किया गयाः– 1. अभियांत्रिकी संस्थान के लिए एक अनुभवी आचार्य स्तर के वरिष्ठ विशेषज्ञ (सेवानिवृत्त) को संस्थान के निदेशक के रूप में तीन वर्ष के लिए अनुबंधित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया। 2. निदेशक को मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि एल0पी0सी0–पेंशन अथवा रू0 1,00000 (एक लाख) प्रतिमाह, जो भी न्यून हो दिया जाय। 3. अभियांत्रिकी संस्थान के लिए एक अनुभवी श्रेणी 'क' से सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को संस्थान के उप निदेशक के रूप में एक वर्ष के लिए अनुबंधित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया। 4. उप निदेशक को मानदेय के रूप में दी जाने वाली धनराशि रू0 60,000 (साठ हजार मात्र) प्रतिमाह,अथवा एल0पी0सी0–पेंशन प्रतिमाह, जो भी न्यून हो दिया जायेगा। 5. सेवानिवृत्त कार्मिकों की ही सेवायें प्राप्त की जायेंगी परन्तु निदेशक पद पर अधिकतम आयु 68 वर्ष से अधिक एवं उप निदेशक पद हेतु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। 6. निदेशक के रूप में तीन वर्ष के लिए अनुबंधित किये जाने के पश्चात् निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष की अनुबंधित सीमा पूर्ण होने अथवा 68 वर्ष की आयु पूर्ण होने (जो भी पहले हो) पर उसकी अनुबन्ध आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी। 7. उप निदेशक के रूप में एक वर्ष के लिए अनुबंधित किये जाने के पश्चात् उप निदेशक का कार्यकाल का विस्तार एक अतिरिक्त वर्ष के लिये उसके गुणवत्तापरक कार्य निष्पादन/मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकेगा परन्तु 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के साथ ही उसकी अनुबन्ध आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी।	कार्यवाही प्रचलित है।
22/39	**विश्वविद्यालय में अधिकारियों के मध्य वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।**	विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय– आदेश

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	निर्णयः विश्वविद्यालय अधिनियम–2009 की धारा 37 में संविदाओं का निष्पादन के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है :– संविदाओं का निष्पादन — *37– विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदायें ऐसे अभिव्यक्त की जायेगी जैसा कि कार्य परिषद् द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो तो उनका निष्पादन कुलपति द्वारा किया जायेगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रुपये से अधिक न हो तो कुल सचिव द्वारा किया जायेगा।* मा0 कार्य परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 16 मार्च, 2018 में बिन्दु संख्या–23/18 में तात्कालिक आवश्यकता एवं समयावधि के दृष्टिगत रू0 50,000/– के व्यय के भुगतान/समायोजन तथा विश्वविद्यालय के अनिवार्य/अपरिहार्य भुगतान जैसे विश्वविद्यालय का बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ सरकारी वाहनों के डीजल/पेट्रोल के बिल तथा अन्य राजकीय/शासकीय देय बिलों के भुगतान हेतु कुलसचिव को अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या–507/फा0सं0–240/ कार्या0ज्ञाप/ डा.श.मि.रा.पु.वि./2021–22 दिनांकः 16जुलाई, 2021 द्वारा वर्तमान में कार्यालय कार्य सुगमता एवं त्वरित गति से निस्तारण किये जाने हेतु टेलीफोन बिल, विद्युत बिल एवं वाहनों के पेट्रोल/डीजल के बिल एवं राजकीय/शासकीय व्यय का ससमय भुगतान हेतु रू0 20000/– की सीमा तक बिलों के भुगतान हेतु उप कुलसचिव तथा परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया था। मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में निरन्तर कार्यों में बढ़ोत्तरी एवं पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन को विकेन्द्रीकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गयाः– 1. धनराशि रू0 1,00000/– तक के समस्त व्यय/ देयताओं के भुगतान/ समायोजन तथा विश्वविद्यालय के अनिवार्य/अपरिहार्य भुगतान जैसे विश्वविद्यालय का बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ सरकारी वाहनों के डीजल/पेट्रोल के बिल, नियमित कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं अन्य राजकीय/शासकीय देय बिलों के भुगतान हेतु कुलसचिव को अधिकृत किये जाने अनुमोदन प्रदान किया गया है। 2. धनराशि रू0 25,000/– तक के समस्त व्यय के भुगतान/समायोजन विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव के लिये प्रतिनिधायन किया गया।	निर्गत करते हुए अनुपालन किया गया।
23/39	**विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम के सुगम संचालन एवं विकास हेतु कार्यकारी गवर्निंग बॉडी के गठन किये जाने के सम्बन्ध में।**	विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय –ज्ञाप निर्गत करते हुए गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया है।
	निर्णयः मा0 कार्य परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 23 जून, 2021 में बिन्दु संख्या–8/33 में निर्णय प्रदान किया गया– *"मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम के संचालन हेतु तैयार की गई कार्य योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। मा0 परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् दिव्यांगजन छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत् रखते हुए उच्च शिक्षा के साथ–साथ विभिन्न पैरालम्पिक खेलों के प्रति अग्रसर करने के उद्देश्य से निर्मित विशिष्ट स्टेडियम में विभिन्न प्रकार के पैरालम्पिक खेल–कूद गतिविधियों के कुशल संचालन हेतु रचनात्मक पहलुओं के दृष्टिगत स्टेडियम के रख–रखाव/अनुरक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के खेलों की ट्रेनिंग इत्यादि के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विशिष्ट स्टेडियम में उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण करते हुए तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर दिव्यांगजनों प्रयोगार्थ विशिष्ट स्टेडियम के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार कर उपलब्ध कराई गई। मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य योजना के सम्बन्ध में वांछित अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही निम्न निर्देश प्रदान किए गएः– (क)– विशिष्ट स्टेडियम के संचालन एक संचालन मण्डल/बोर्ड का गठन किया जाए। (ख)– विशिष्ट स्टेडियम के संचालन मण्डल/बोर्ड में राज्य के खेल विभाग के अधिकारियों एवं खेल विशेषज्ञों/पैरा खेलों के विशेषज्ञों को नामित किया जाए। (ग)– विशिष्ट स्टेडियम में खेल स्पर्धाओं का आयोजन यथाशीघ्र कराकर संचालन प्रारम्भ किया जाय।"* उक्त निर्णय के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियग के सुगम	

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	संचालन एवं विकास हेतु कार्यकारी गवर्निंग बॉडी का गठन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक 1494/पत्रा0सं0–1557/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22, दिनांक 08.11.2021 द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन से अनुरोध किया गया, तत्क्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा उक्त पत्र के सन्दर्भ में पत्र संख्या–131894/ 2022/65–3099/25/2021, दिनांक 13.01.2022 द्वारा संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशाशी संस्था है जो डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एवं विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 से निगमित होती है। विश्वविद्यालय के विशिष्ट स्टेडियम के सुगम संचालन एवं विकास हेतु गर्वनिंग बॉडी के गठन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अपने स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे। उपर्युक्त वर्णित वस्तुस्थिति से अवगत होते हुये मा0 कार्य परिषद द्वारा विशिष्ट स्टेडियम के सुगम संचालन हेतु गवर्निंग बॉडी का गठन निम्नानुसार किया गया है:– 1. कुलपति, विश्वविद्यालय–अध्यक्ष। 2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय–सदस्य सचिव। सदस्य 3. वित्त अधिकारी 4. अधिष्ठाता विशेष शिक्षा संकाय 5. कुलपति द्वारा नामित दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पैरा स्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो। 6. कुलपति द्वारा नामित दो पैरा खेल प्रशिक्षक/ विशेषज्ञ। 7. क्रीडा अधिकारी, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। 8. खेल निदेशक, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। 9. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक। उपरोक्त गवर्निंग बॉडी विशिष्ट स्टेडियम के संचालन, विकास, खेल स्पर्धाओं के आयोजन, नीति निर्धारण आदि हेतु उत्तरदायी होगी। विशिष्ट स्टेडियम के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट/ नियम/ निर्देश तैयार करेगी। गवर्निंग बॉडी की बैठक न्यूनतम प्रत्येक छः माह में एक बार आयोजित किया जाना आवश्यक होगा। कुल सदस्यों का 1/3 गणपूर्ति हेतु आवश्यक होगी। गवर्निंग बॉडी की बैठक तीन कार्य दिवस के नोटिस पर कभी भी बुलायी जा सकेगी। गवर्निंग बॉडी के वित्तीय निर्णय वित्त समिति में अनिवार्यतः अनुमोदित कराये जायेंगे। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद गवर्निंग बॉडी की नियंत्रक इकाई होगी, इस प्रकार कार्य परिषद विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार गवर्निंग बॉडी के किसी भी निर्णय को निरस्त करने, स्वीकार करने, शून्य करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी।	
24/39	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।**	
24/39 (1.)	**विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव को निर्गत आरोप पत्र पर नामित जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच के उपरान्त जांच आख्या पर विचार।** (इस सन्दर्भ पर चर्चा के दौरान कुलसचिव को बैठक से विरत रखा गया तथा कुलसचिव बैठक कक्ष में अनुपस्थित रहे।)	**अनुपालन किया गया है।**
	निर्णयः मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 37वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या–11/37 के उप बिन्दु संख्या–(3) के अन्तर्गत लिए गये निर्णय के अनुक्रम में श्रीमती बिन्दू त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव के शिकायती–पत्र पर आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई जांच के उपरान्त उपलब्ध कराई गई जांच आख्या/संस्तुतियों पर संगत सेवा नियमावली के अनुसार श्रीमती बिन्दू त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव पर अनुशासनात्मक जांच संस्थित करते हुए पत्रांक 2229/फा0सं0–861/ 2021–22, दिनांक 20.01.2022 द्वारा डॉ0 मंजू निगम, सेवानिवृत्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश को जांच अधिकारी नामित किया गया, तदोपरान्त विश्वविद्यालय के पत्रांक 2242/पत्रा0सं0–861/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./ 2021–22, दिनांक 24.01. 2022 द्वारा श्रीमती बिन्दू त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव को आरोप–पत्र निर्गत किया गया। नामित जांच अधिकारी डॉ0 मंजू निगम, सेवानिवृत्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा युक्ति–युक्त जांच करते हुए जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी जिसे मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा नामित जांच अधिकारी डॉ0 मंजू निगम, सेवानिवृत्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा युक्ति–युक्त जांच करते हुए उपलब्ध कराई गई जांच आख्या का अवलोकन किया गया, तथा जांच आख्या को समग्र रूप में यथावत् स्वीकार करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया। जांच अधिकारी डॉ0 मंजू निगम, सेवानिवृत्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के	

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास

	अनुसार श्रीमती बिन्दू त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव पर आरोपित समस्त आरोप सिद्ध पाये गये, मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय प्रदान किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम 9 (4) में दी गयी व्यवस्थानुसार जांच अधिकारी डॉ0 मंजू निगम, सेवानिवृत्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या की एक प्रति संलग्न करते हुये श्रीमती बिन्दू त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव को 15 दिवस का समय देकर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जाय तथा अभ्यावेदन हेतु निर्गत नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय कि "आरोप पत्र में आरोपित समस्त आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत क्यों न आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए।"		
24/39 (2.)	**विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक के बिन्दु सं0–23/38 के उप बिन्दु पर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा के सम्बन्ध में।**	विश्वविद्यालय द्वारा पृथक–पृथक आदेश निर्गत करते हुए अनुपालन किया गया है।	

निर्णयः मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 में 6/7(अ) में लिए गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 07.10.2021 को उक्त प्रकरण को मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर बिन्दु संख्या–3/35 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति
डॉ0 निशीथ राय के कार्यकाल में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की गयी अनियमित नियुक्तियों की जांच हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की दो सदस्यीय समिति बनाये जाने का निर्णय प्रदान किया गया।

मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में जांच हेतु 02 सदस्यीय समिति (न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ) का गठन विश्वविद्यालय के पत्रांक 1400/फा0सं0– 1297/शा0जांच/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22, दिनांक 29.10.2021 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कार्यविरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों के प्रकरण पर डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एवं तत्सम्बन्धी परिनियमावली, 2009 तथा अन्य सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं के आलोक में विस्तृत जांच करते हुए संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराई गई।

जांच हेतु गठित 02 सदस्यीय समिति (न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर, एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ) द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या को स्वीकार करते हुये मा0 कार्य परिषद द्वारा 38वीं बैठक में निर्णय प्रदान किया गया था कि तत्समय विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं को पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को 15 दिवस का समय देकर अभ्यावेदन प्राप्त कर लिया जाए, अभ्यावेदन के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया जाय। तत्क्रम में जांच समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के अनुसार निम्न अभ्यर्थियों को (*विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या–147 दिनांक–22अप्रैल,2022, पत्रांक संख्या–149 दिनांक–22 अप्रैल, 2022, पत्रांक संख्या–150 दिनांक–22 अप्रैल, 2022, पत्रांक संख्या–163 दिनांक–22 अप्रैल, 2022, पत्रांक संख्या–148 दिनांक–22 अप्रैल, 2022, पत्रांक संख्या–164 दिनांक–22 अप्रैल, 2022 एवं पत्रांक संख्या–165 दिनांक–22 अप्रैल, 2022 के माध्यम से*) 15 दिवस का समय देकर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अन्तिम अवसर प्रदान किया गया:–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	विभाग का नाम
01	प्रो0 अवनीश चन्द्र मिश्रा	प्रोफेसर	इतिहास एवं पुरातत्व विभाग
02	डॉ0 विपिन पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भारतीय भाषा विभाग
03	डॉ0 मृत्युंजय मिश्रा	एसोसिएट प्रोफेसर	श्रवण बाधितार्थ विभाग
04	डॉ0 आद्या शक्ति राय	एसोसिएट प्रोफेसर	दृष्टिबाधितार्थ विभाग
05	प्रो0 आर0 के0 श्रीवास्तव	प्रोफेसर	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग
06	श्रीमती जे0 कल्याणी	असिस्टेण्ट प्रोफेसर	बौद्धिक अक्षमता विभाग
07	डॉ0 अवधेश प्रसाद मिश्रा	असिस्टेण्ट प्रोफेसर	ललित कला विभाग

उपर्युक्त अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–362, 363 एवं 364 दिनांक–20 मई, 2022 के माध्यम से तीन पृथक–पृथक समितियों का गठन किया गया। उल्लिखित अभ्यर्थियों के द्वारा भिन्न–भिन्न तिथियों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये, जिनके अभ्यावेदन सहित समस्त प्रपत्रों को सम्बन्धित समिति को परीक्षण हेतु उपलब्ध करा दिया गया। समिति द्वारा अपनी परीक्षण आख्या दिनांक–09 जून, 2022 को विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी। जिसे मा0 कार्य परिषद के

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास

अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अभ्यावेदन के परीक्षण हेतु गठित समिति की परीक्षण आख्या को यथावत स्वीकार करते हुये अनुमोदन प्रदान किया गया। अभ्यावेदन के परीक्षण हेतु गठित समिति की परीक्षण आख्या के अनुसार श्रीमती जे0 कल्याणी के अतिरिक्त शेष छः अभ्यर्थियों/शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन बलहीन होने के कारण इनका चयन निरस्त किये जाने योग्य है, तत्क्रम में मा0 कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय प्रदान किया गया:–

1. अभ्यावेदन के परीक्षण हेतु गठित समिति की परीक्षण आख्या के अनुसार श्रीमती जे0 कल्याणी द्वारा अपने अभ्यावेदन के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनका चयन विशेष शिक्षा संकाय के बौद्धिक अक्षमता विभाग में सहायक आचार्य के पद पर हुआ है और डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 2009 के अध्याय 08 के उप बिन्दु संख्या 8.02 में उल्लिखित है कि "The qualification for appointment Teacher, Special Educators, Trainers, Therapists and other Specialists in the Faculty of Special Education of the University shall be such as may be from time to time prescribed by the Rehabilitation Coucil of India." इस प्रकार जैसा कि स्वयं जांच समिति द्वारा निष्कर्ष दिया गया है कि श्रीमती जे0 कल्याणी द्वारा आर0सी0आई0 द्वारा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण किया जा रहा था। इस प्रकार श्रीमती जे0 कल्याणी, सहायक आचार्य बौद्धिक अक्षमता विभाग द्वारा उक्त पद हेतु तत्समय विज्ञापन में विज्ञापित अर्हताओं को पूर्ण कर रहीं थीं।
2. अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष अर्हताएं पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों/ शिक्षकों की नियुक्ति पूर्णतः गलत है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों/ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग का नाम
01	प्रो0 अवनीश चन्द्र मिश्रा	प्रोफेसर	इतिहास एवं पुरातत्व विभाग
02	डॉ0 विपिन पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भारतीय भाषा विभाग
03	डॉ0 मृत्युंजय मिश्रा	एसोसिएट प्रोफेसर	श्रवण बाधितार्थ विभाग
04	डॉ0 आद्या शक्ति राय	एसोसिएट प्रोफेसर	दृष्टिबाधितार्थ विभाग
05	प्रो0 आर0 के0 श्रीवास्तव	प्रोफेसर	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग
06	डॉ0अवधेश प्रसाद मिश्रा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	ललित कला विभाग

तत्क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश प्रदान किया गया कि जांच आख्या एवं शिक्षकवृन्द द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन के परीक्षण हेतु गठित समिति की परीक्षण आख्या के अनुसार उपरोक्त शिक्षकवृन्द की सेवाओं को समाप्त किये जाने से सम्बन्धी सुस्पष्ट आदेश कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया जाय।

3. तत्कालीन कार्य विरत कुलपति प्रो0 निशीथ राय के कार्यकाल में हुयी अनियमित नियुक्तियों के अन्तर्गत शैक्षिक संवर्ग की नियुक्तियों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक के बिन्दु सं0–23/38 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के शेष बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। — आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाना निवेदित है।
4. उपरोक्त नियुक्तियों में अनियमित प्रक्रिया अपनाने, मनमाने तरीके से चयन समितियों का गठन करने, आरक्षण नियमों का पालन न करने, विज्ञापन में विज्ञापित अर्हताओं को धारित न करने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने, विज्ञापित पदों से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करने आदि के लिये उत्तरदायी तत्कालीन कुलपति प्रो0 निशीथ राय पर विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 सामान्य परिषद को संज्ञानित कराया जाना उचित होगा। — मा0 सामान्य परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

24/39 (3.)	विश्वविद्यालय में विभिन्न संवर्ग की भर्तियों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के सन्दर्भ में।	अनुपालन किया जा रहा है।
	निर्णयः विश्वविद्यालयों में शैक्षिक संवर्ग की भर्तियों के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या ई–3047/जी0एस0, दिनांक–22 मई, 2022 के माध्यम से निर्गत दिशा–निर्देशों से मा0 कार्य परिषद अवगत हुयी।	

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास

	24/39 (4.)	विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ0 निशीथ राय द्वारा गैर–शैक्षिक संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित गठित जांच समिति की आख्या पर विचार।	अनुपालन किया जा रहा है।
		निर्णयः मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 में 6/7(अ) में लिए गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 07.10.2021 को उक्त प्रकरण को मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर बिन्दु संख्या– 3/35 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय के कार्यकाल में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की गयी अनियमित नियुक्तियों की जांच हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की दो सदस्यीय समिति बनाये जाने का निर्णय प्रदान किया गया। मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में जांच हेतु 02 सदस्यीय समिति (न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ) का गठन विश्वविद्यालय के पत्रांक 1400/फा0सं0– 1297/शा0जांच/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22, दिनांक 29.10.2021 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कार्यविरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों के प्रकरण पर डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एवं तत्सम्बन्धी परिनियमावली, 2009 तथा अन्य सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं के आलोक में विस्तृत जांच करते हुए संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराई गई। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच आख्या के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा 38वीं बैठक में विचार–विमर्श करते हुए निम्नवत् जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के क्रम में निर्णय प्रदान किए गएः–*"विश्वविद्यालय के पत्रांक 1400/ फा0सं0–1297/शा0जांच/डॉ.श.मि.रा.पु.वि. /2021–22, दिनांक 29.10.2021 द्वारा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कार्यविरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों के प्रकरण पर उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में गैर शैक्षिक संवर्ग के संदर्भ में संस्तुति की गयी है किः– "So far as the appointment of non-teaching staff is concerned during the course of enquiry, the University authorities could not produce before us any record which adversely affects their appointment." उक्त टिप्पणी विश्वविद्यालय के लिये आपत्तिजनक है तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की उदासीनता की ओर संकेत कर रही है। अतः जांच समिति से पुनः अनुरोध कर लिया जाए कि गैर–शैक्षिक संवर्ग के संदर्भों की जांच कर 15 दिवस में स्पष्ट तथ्यपरक आख्या उपलब्ध कराएं तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से अपेक्षा है कि इसे त्वरित गति से निस्तारित करें।"* तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 1400/फा0सं0–1297/ शा0जांच/ डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2021–22, दिनांक 29.10.2021 द्वारा है, जिसे मा0 कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा गठित जांच समिति (02 सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर, एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ) द्वारा गैर–शैक्षिक संवर्ग के संदर्भों में जांचोपरान्त प्रस्तुत की गयी विस्तृत जांच आख्या का अवलोकन करते हुये सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय प्रदान किये गयेः– 1. तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय के कार्यकाल में हुयी गैर शैक्षिक संवर्ग की नियुक्तियों से सम्बन्धित जांच समिति *(02 सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर, एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ)* द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या को मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यथावत स्वीकार किया गया।	
		2. पूर्व कार्य विरत कुलपति प्रो0 निशीथ राय के कार्यकाल में हुयीं अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न जांचों के माध्यम से जो नवीन तथ्य (अभिलेखीय साक्ष्यों से पुष्ट) संज्ञान में आये हैं उन्हें समाहित करते हुये Writ-A 7695 of 2016 में एक Supplementary Counter Affidavit पन्द्रह दिवस के भीतर मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाय।	
		3. जांच समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या पर विधि अधिकारी, श्री आलोक मिश्रा को 15 दिवस का समय देकर अभ्यावेदन प्राप्त कर लिया जाय, तथा अभ्यावेदन हेतु निर्गत नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय कि तत्समय विधि अधिकारी के पद पर आपका चयन अनियमित होने के दृष्टिगत क्यों न आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए।	

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	4. जांच समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या पर 02 सहायक विधि अधिकारियों (श्री अभिषेक यादव व श्री मुकेश कुमार) को 15 दिवस का समय देकर अभ्यावेदन प्राप्त कर लिया जाय, तथा अभ्यावेदन हेतु निर्गत नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय कि तत्समय सहायक विधि अधिकारी (यथा स्थिति) के पद पर आपका चयन अनियमित होने के दृष्टिगत क्यों न आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। अभ्यावेदन के परीक्षण हेतु समिति का गठन कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।	
	5. जांच समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में विश्वविद्यालय के 04 वाहन चालक एवं 20 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के संबंध में कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी की एक दो सदस्यीय समिति बनाए जाने का निर्देश प्रदान किया गया, समिति गहनता से जांच आख्या का परिशीलन करते हुये अपनी परीक्षण आख्या मा0 कार्य परिषद की आहूत की जाने वाली अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।	

बिन्दु संख्या–19/39– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में योजित वाद संख्या Writ-A 7695 of 2016 के त्वरित निस्तारण कराये जाने की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि प्रकरण के संबंध में पूर्ण अद्यतन स्थिति से आगामी कार्य परिषद की प्रत्येक बैठक में पृथक से एजेण्डे के रूप में संज्ञानित कराया जाए।

बिन्दु संख्या–24/39 (2.) विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक के बिन्दु सं0–23/38 के उप बिन्दु पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3/40

विश्वविद्यालय के कालेज फॉर डेफ के संचालन के सम्बन्ध में।

मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय में बधिर दिव्यांगजन हेतु कालेज फॉर डेफ में संचालित होने वाला पाठ्यक्रम प्रदेश के किसी संस्थान में संचालित नहीं है। अतएव The Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 के मूल उद्देश्यों को पूर्ण करने, बधिर दिव्यांगजन के लिए सुगम व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थान न होने के कारण भारत सरकार द्वारा बधिर दिव्यांगजनों के व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि एवं गुणात्मक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर भारत के प्रथम 'कालेज फॉर डेफ' की स्थापना विश्वविद्यालय में की गयी है।

विश्वविद्यालय द्वारा B.Voc. in Graphics & Animation Designing पाठ्यक्रम के संचालन हेतु 07 शैक्षिक, 08 गैर–शैक्षिक एवं 16 तकनीकी पदों के सृजन के प्रस्ताव को शासन को प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर कार्यवाही प्रतीक्षित है।

विश्वविद्यालय में स्थापित कालेज फार द डेफ में प्रथम चरण में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है जिससे विद्यार्थी अपने आधारभूत कौशलों का विकास कर सकें। NEP 2020 के कौशल विकास पाठ्यक्रमों के दृष्टिगत भी उक्त पाठयक्रम चलाये जाना श्रेयस्कर होगा। NIELIT के माध्यम से, जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है, के माध्यम से निम्न पाठ्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है –

1- 'O' Level Course in Computer
2- Web designing
3- Digital Marketing
4- Certificate Course in PC Hardware & Networking
5- Diploma in Computer Application & Network Administration
6- Mobile app development
7- Financial Accounting using TALLY
8- Artificial intelligence
9- Auto CAD
10- CCC Course in Computer

NIELIT तथा DSMNRU के मध्य उक्त पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम शुल्क, योग्यता तथा अन्य कार्यो के वितरण तथा अन्य प्रशासनिक एवं अकादमिक गतिविधियों के दृष्टिगत एक MOU, NIELIT तथा DSMNRU के प्रतिनिधि आधिकारियों के मध्य किया गया है। जिस पर मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

मा0 कार्य परिषद कृपया उक्त पाठ्यक्रम संचालन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए NIELIT तथा DSMNRU के मध्य उक्त पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम शुल्क, योग्यता तथा अन्य कार्यो के

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	वितरण तथा अन्य प्रशासनिक एवं अकादमिक गतिविधियों के दृष्टिगत एक MOU, NIELIT तथा DSMNRU के प्रतिनिधि आधिकारियों के मध्य किये गये समझौता ज्ञापन पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/40	**विश्वविद्यालय के श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए पी0डी0सी0डी0 की निर्धारित 30 सीटों को 60 सीटों के वृद्धि किये जाने पर विचार।**
	निर्णयः— विश्वविद्यालय में विगत कई वर्षों से श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु द्विवर्षीय पी0डी0सी0डी0 (प्री—डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स फॉर डेफ स्टूडेन्ट्स) पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 100 प्रतिशत सीटें श्रवणबाधित दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु आरक्षित है। यह एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम है, जो श्रवण दिव्यांगजन की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत संचालित किया गया है। उक्त विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष मात्र 30 सीटें विद्यार्थियों के प्रवेश (Intake capcity) की ही व्यवस्था है। उक्त पाठ्यक्रम के संदर्भ में मा0 कार्य परिषद को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया गया है— 1. विगत वर्षों में यह देखने में आया है कि इस विशिष्ट पाठ्यक्रम में अनेक विद्यार्थी आवेदन करते है, किन्तु सीटों की निर्धारित एवं सीमित संख्या के कारण प्रवेश नहीं ले पाते हैं। 2. कक्षा 11 एवं 12 श्रवण बाधित विद्यार्थियों हेतु अत्यन्त सीमित शैक्षिक संस्थान होने के कारण ये विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। 3. विगत कुछ वर्षों ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा प्रवेश हेतु सीटें बढाये जाने हेतु अनुरोध भी किया जाता रहा है। 4. इस पाठ्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा इण्टरमीडिएट के समक्ष की मान्यता दी गई है, जिसके कारण इस पाठ्यक्रम की मांग अत्यधिक है। 5. मा0 विद्या परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 28.07.2022 में भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। **मा0 कार्य परिषद तद्नुसार श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु द्विवर्षीय संचालित पी0डी0सी0डी0 (प्री—डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स फॉर डेफ स्टूडेन्ट्स) पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 30 से बढाकर 60 किये जाने पर सम्यक विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।**
5/40	**विश्वविद्यालय में साइन लैंग्वेज इण्टरपेरेटर पाठ्यक्रम संचालित किये जाने पर विचार।**
	निर्णयः— मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित कालेज फॉर द डेफ में वर्तमान सत्र से विभिन्न पाठ्यक्रम चलाये जाने है, जिसमें Certificate, Diploma स्तर पर Vocational पाठ्यक्रम के संचालन हेतु NIELIT के साथ MOU कराया जाना प्रस्तावित है। मूक—बधिर विद्यार्थियों के अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर की आवश्यकता एवं महत्व के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में साइन लैंग्वेज इण्टरप्रेटर पाठ्यकम संचालित किए जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/40	**विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर के चयन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन संख्या—43/2020—21, दिनांक 12.03.2021 द्वारा कला एवं संगीत संकाय के अन्तर्गत संचालित विभागों में रिक्त पदों पर भरे जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसमें हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर, हिन्दी के 01 अनारक्षित पद पर प्राप्त आवेदन—पत्रों की चरणबद्ध तरीके से तथा राज्यपाल सचिवालय, उ0 प्र0 द्वारा समय—समय पर शैक्षिक पदों पर भर्ती हेतु निर्गत दिशा—निर्देश के अनुपालन में पात्र पाये गये कुल 07 अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय में दिनांक 15.07.2022 को साक्षात्कार आयोजित किया गया।विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हिन्दी के पद के साक्षात्कार हेतु चयन समिति का गठन, विश्वविद्यालय अधिनियम की व्यवस्था एवं अन्य संगत शासनादेश के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में की गयी। साक्षात्कार के दिवस साक्षात्कार हेतु 07 अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन हेतु समिति गठित की गयी, साक्षात्कार के समय कुल 03 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रत्येक अभ्यर्थी के साक्षात्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्षात्कार की वीडियो रिकार्डिंग कराते हुए अनुरक्षित किया गया। उक्त चयन हेतु साक्षात्कार समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रार्थित हैं। मा0 कार्य परिषद के समक्ष साक्षात्कार समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों का लिफाफा खोला गया जिसमें साक्षात्कार समिति द्वारा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर, हिन्दी के 01 अनारक्षित पद पर **डॉ यशवन्त कुमार वीरोदय** के नाम की संस्तुति चयन/ साक्षात्कार समिति द्वारा की गयी तथा समिति द्वारा प्रतीक्षा सूची में **डॉ0 सत्य प्रकाश त्रिपाठी** के नाम की संस्तुति की गयी है। मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के कला एवं संगीत संकाय के अन्तर्गत हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में प्रोफेसर, हिन्दी के 01 अनारक्षित विज्ञापित पद पर साक्षात्कार/चयन समिति की

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

संस्तुतियों के क्रम में डॉ0 यशवन्त कुमार वीरोदय के चयन पर सम्यक् विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

7/40 — विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में पदोन्नति के सम्बन्ध में।

निर्णयः— मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में कार्यरत् शिक्षकों (सह–आचार्य) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के आलोक में करियर एडवांसमेण्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत आचार्य के रूप में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु UGC द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत नियमन 2016 में वर्णित व्यवस्थानुसार स्क्रीनिंग–कम–इवेल्युएशन समिति का गठन निम्नवत् रूप में किया गया–

स्क्रीनिंग–कम–इवेल्युएशन समिति

1— विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति — अध्यक्ष
2— निदेशक आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ — संयोजक
3— सम्बन्धित विभाग के संकाय का अधिष्ठाता — सदस्य
4— सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष — सदस्य
(अध्यक्ष के रूप में विभाग में प्रोफेसर न होने के कारण इनके स्थान पर एक बाह्य विषय विशेषज्ञ मा0 कुलपति द्वारा नामित सदस्य)
5— कुलपति महोदय द्वारा नामित एक बाह्य विषय विशेषज्ञ — सदस्य

CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु अर्ह शिक्षकों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन पर प्रभावी निर्धारित (PBAS) प्रारूप पर (समस्त अभिलेखों सहित) उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों का परीक्षण विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारम्भिक स्क्रीनिंग कमेटी का निम्नानुसार गठन किया गया।

प्रारम्भिक स्क्रीनिंग समिति

1— सम्बन्धित विभाग के संकाय का अधिष्ठाता — सदस्य
2— सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष — सदस्य
(अध्यक्ष के रूप में विभाग में प्रोफेसर न होने के कारण इनके स्थान पर एक प्रोफेसर मा0 कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य)

विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर को अपुनरीक्षित वेतनमान में स्टेज–4 से स्टेज–5 (AGP 9000/Academic Level-13A से AGP 10000/Academic Level-14) की प्रोन्नति की प्रक्रिया स्क्रीनिंग–कम–इवेल्युएशन समिति के माध्यम से किया गया।

विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में कार्यरत् शिक्षकों (सह–आचार्य) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के आलोक में करियर एडवांसमेण्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत आचार्य के रूप में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु UGC द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत नियमन 2016 में वर्णित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर को स्टेज 4 से 5 (AGP 9000/Academic Level-13A से AGP 10000/Academic Level-14) की प्रोन्नति की प्रक्रिया स्क्रीनिंग–कम–मूल्यांकन समिति के माध्यम से किया गया। दिनांक–15.07.2022 को सह–आचार्यों डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह एवं डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव का साक्षात्कार आयोजित किया गया। तदनुक्रम में कैरियर उन्नयन योजना के अन्तर्गत उक्त आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह एवं डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव को आचार्य पद पर प्रोन्नति प्रदान किए जाने की संस्तुति की गयी।

मा0 कार्य परिषद उपरोक्त प्रस्ताव पर संज्ञानित होते हुए सम्यक् विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

8/40 — विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लाक ए–1 एवं एकेडमिक ब्लाक ए–2 के मरम्मत कार्य हेतु आगणन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः— मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि प्रशासनिक भवन के चौखट एवं दरवाजों के मरम्मत कार्य एवं एकेडमिक ब्लाक ए–1, एकेडमिक ब्लाक ए–2 में चौखट, दरवाजों, बाथरूम, क्लासरूम, समस्त सीवर लाइन, एवं समस्त सिविल वर्क कार्य हेतु स्थलीय निरीक्षण करते हुए मरम्मत कार्य हेतु आगणन प्राप्त किये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ से आगणन प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर से पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषित पत्र के क्रम में परियोजना प्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा पत्रांकः 514/कार्य–01/17 दिनांक 20.07.2022 के माध्यम से प्रशासनिक भवन के चौखट एवं दरवाजों के मरम्मत कार्य हेतु धनराशि रू0 14.66 लाख (चौदह लाख छाछठ हजार रूपये मात्र) का आगणन उपलब्ध

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

कराया गया है। एकेडमिक ब्लाक ए–1 हेतु धनराशि रू0 209.10 लाख एवं एकेडेमिक ब्लाक ए–2 हेतु धनराशि रू0 252.35 लाख का आगणन कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/40 **विश्वविद्यालय के पुरूष छात्रावास के ब्लाक ए–1, ब्लाक ए–2 एवं मेस एरिया के मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में।**

<u>निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पुरूष छात्रावास के ब्लाक ए–1, ब्लाक ए–2 एवं मेस एरिया के रंगाई/पुताई, चौखट/दरवाजा एवं मेस एरिया के रंगाई/पुताई, चौखट/दरवाज़ा एवं सिविल कार्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता,उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड से रंगाई/पुताई, चौखट/दरवाजा एवं मेस एरिया के रंगाई/पुताई, चौखट/दरवाजा एवं सिविल कार्य हेतु स्थलीय निरीक्षण करते हुए आगणन को लोक निर्माण विभाग से प्रति हस्ताक्षरित कराकर उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा पुरूष छात्रावास के ब्लाक ए–1 हेतु पत्रांक–UPRNSS/अधि0अभि0/नि0प्र0ल0–1/39/2022–23/286 दिनांक 25.07.2022 के माध्यम से धनराशि रू0 498.75 लाख का आगणन, पुरूष छात्रावास के ब्लाक ए–2 हेतु पत्रांक–UPRNSS/अधि0 अभि0/नि0प्र0ल0–1/39/2022–23/289 दिनांक 26.07.2022 के माध्यम से धनराशि रू0 497.00 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया है जिसे लोक निर्माण विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाना प्रस्तावित है एवं मेस एरिया के मरम्मत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

10/40 **विश्वविद्यालय के संकाय के अधिष्ठाता एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

<u>निर्णयः</u>– मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक–658/36(सप्तम)/2022 –23, दिनांक 16 जून, 2022 के बिन्दु सं0–24/39(2) में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कृत कार्यवाही से संज्ञानित होते हुए विभागीय गतिविधियों के सुगम संचालन के लिए निम्न संकायों/विभागों में अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/समन्वयक नामित किये जाने पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया–

क्र. सं.	विभाग का नाम	नामित शिक्षकवृन्द	आवंटित पदगत दायित्व
1.	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी	प्रो0 चन्द्र कुमार दीक्षित, आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग	अधिष्ठाता, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी
2.	कम्प्यूटर विज्ञान	डॉ0 देवेश कटियार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर	समन्वयक, कम्प्यूटर विज्ञान
3.	दृष्टि बाधितार्थ	डॉ0 विजय शंकर शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर	विभागाध्यक्ष, दृष्टि बाधितार्थ
4.	श्रवण बाधितार्थ	डॉ0 कौशल शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर	विभागाध्यक्ष, श्रवण बाधितार्थ

इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग को 02 पृथक–पृथक विभागों में विभक्त किये जाने पर समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान विभाग का प्रो0 हिमांशु शेखर झा, आचार्य, समाजशास्त्र को 03 वर्ष हेतु विभागाध्यक्ष, नामित किये जाने तथा समाज कार्य विभाग में डॉ0 अर्चना सिंह, समाज कार्य को अग्रिम आदेशों तक के लिए समन्वयक नामित किये जाने पर विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली, 2009 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

11/40 **विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार संकायों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

<u>निर्णयः</u>– विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार संकायों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 15.06.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 द्वारा संकायों के पुनर्गठन/संरचना हेतु अनुमोदित प्रस्ताव पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0–185133/65–3–2022, दिनांक 01.07.2022 द्वारा दिये गये निर्देश का अवलोकन मा0 कार्य परिषद द्वारा किया गया, तदोपरान्त विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर तैयार न्यूनतम्, समान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संकायों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

अनुमोदन प्रदान किये गये :–

I.	भाषा संकाय (Faculty of Languages)	
	1.	हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा (Hindi & Other Indian Languages)
	2.	अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा (English & Other Foreign Languages)
II.	कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय (Faculty of Arts, Humanities & Social Science)	
	1.	इतिहास एवं पुरातत्व विभाग (History and Archeology Department)
	2.	राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग (Political Science and Public Administration Department)
	3.	समाज शास्त्र/सामाजिक विज्ञान विभाग (Sociology/Social Science Department)
	4.	समाज कार्य विभाग (Social Work Department)
	5.	अर्थशास्त्र विभाग (Economics Department)
	6.	दर्शनशास्त्र विभाग (Philosophy Department)
	7.	पुस्तकालय विज्ञान विभाग (Library Science Department)
	8.	भूगोल विभाग (Geography Department)
	9.	मनोविज्ञान एवं मानवशास्त्र विभाग (Psychology and Anthropology Department)
III.	विधि संकाय (Faculty of Law)	
	1.	विधि विभाग (Law Department)
IV.	विज्ञान संकाय (Faculty of Science)	
	1.	वनस्पति विज्ञान विभाग (Botany Department)
	2.	जीव विज्ञान विभाग (Life Science Department)
	3.	रसायन विज्ञान विभाग (Chemistry Department)
	4.	भौतिक विज्ञान विभाग (Physics Department)
	5.	गणित एवं सांख्यिकी (Mathematics and Statistics Department)
	6.	जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग (Biotechnology Department)
	7.	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग (Microbiology Department)
	8.	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग (Computer Science Department)
	9.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Information Technology Department)
V.	वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce)	
	1.	वाणिज्य विभाग (Commerce Department)
	2.	प्रबन्धनशास्त्र विभाग (Management Department)
VI.	ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय (Faculty of Fine Arts and Performing Arts)	
	1.	ललित कला विभाग (Fine Arts Department)
	2.	संगीत विभाग (Music Department)
VII.	पैरामेडिकल रिहैबिलीटेशन साइन्सेज (Faculty of Para-Medical Rehabilitation Sciences)	
	1.	प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स विभाग (Department of Prosthetics and Orthotics)
	2.	आडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी विभाग (Department of Audiology and Speech Language Pathology)
	3.	कालेज फॉर डेफ (College For Deaf)
VIII.	विशेष शिक्षा संकाय (Faculty of Special Education)	
	1.	श्रवण बाधितार्थ विभाग (Hearing Impairment Department) (पी०डी०सी०डी० (Pre-Degree Certificate for Deaf Students))
	2.	बौद्धिक अक्षमता विभाग (Intellectual Disability Department)
	3.	दृष्टि बाधितार्थ विभाग (Visual Impairment Department)
	4.	पुनर्वासन एवं बहुविकलांग विभाग (Rehabilitation and Multiple Disabilities Department)
	5.	शिक्षाशास्त्र विभाग (Education Department)

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय

12/40	**विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं पेन्टिग आदि कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः— मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर हेतु निर्मित बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य लगभग 10 वर्ष पूर्व में किया गया है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की सुरक्षा एवं रख–रखाव के दृष्टिगत निर्मित समस्त बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं पेन्टिग आदि सम्बन्धित कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जाना है। इस हेतु कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–26, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं0–652/कार्य–1/08, दिनांक–20.11.2020 के क्रम में उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 47.38 लाख को नवीनतम दरों के आधार पर प्रस्तावित आगणन पर लोक निर्माण विभाग (पी0डब्ल्यू0डी0) से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए निर्मित बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं पेन्टिग आदि सम्बन्धित कार्य कराया जाना है। मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुए कार्य कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वित्तीय नियमों का पालन करते हुए राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
13/40	**विश्वविद्यालय परिसर में संचालित महिला एवं पुरूष छात्रावास से विशिष्टजन स्टेडियम तक निर्मित सड़क की दोनों तरफ पॉथवे इन्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित महिला एवं पुरूष छात्रावास में आवासित अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों के सुगम पथ संचालन (बाधारहित) के दृष्टिगत महिला एवं पुरूष छात्रावास से विशिष्टजन स्टेडियम तक निर्मित सड़क की दोनों तरफ पॉथवे इन्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ कार्यदायी संस्था द्वारा आगणित धनराशि रू0 1.77 करोड़ है। मा0 कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करते हुए प्रस्तावित कार्य हेतु कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन पर लोक निर्माण विभाग (पी0डब्ल्यू0डी0) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आगणन के अनुसार निर्मित सड़क की दोनों तरफ पॉथवे इन्टरलॉकिंग सम्बन्धित कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
14/40	**राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गाँधीनगर, गुजरात का रीजनल सेन्टर, जो उत्तर प्रदेश स्टेट इस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, लखनऊ के डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के चिन्हित कैम्पस में चिन्हित कक्षों को 03 वर्ष की अवधि हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः— मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2 के पत्र संख्या–965/65–2–2099/842022–2, दिनांक 28 जून, 2022 के क्रम में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में निर्मित कक्षों में से राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गाँधीनगर, गुजरात के द्वारा रीजनल सेन्टर हेतु चिन्हित कक्षों को 03 वर्षो की अवधि के लिए निःशुल्क दिये जाने की अनुमति के क्रम में डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के मध्य एक यथोचित एम0ओ0यू0 (MOU) करते हुए अग्रिम कार्यवाही की गयी है। **मा0 कार्य परिषद उपरोक्त से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है।**
15/40	**विश्वविद्यालय में गैर शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत श्रीमती स्वप्निल, वरिष्ठ सहायक के धारणाधिकार के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत श्रीमती स्वप्निल का चयन उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन में अपर निजी सचिव, वेतन मैट्रिक्स लेवल–8 पर हो जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा किये गये अनुरोध पर आदेश संख्या–48/ फा0सं0–210/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2018–19, दिनांक 12.04.2018 के माध्यम वरिष्ठ सहायक के पद से दिनांक 12.04.2018 द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2018 से 12 अप्रैल, 2019 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत के साथ 01 वर्ष का धारणाधिकार बनाये रखते हुए अपर निजी सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 12.08.2018 की अपराहन से कार्यमुक्त किया गया। मा0 सदस्यों को यह भी संज्ञानित कराया गया कि विश्वविद्यालय के पत्रांक 1007/फा0सं0–210/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2022–23, दिनांक 12 जुलाई, 2022 द्वारा श्रीमती स्वप्निल की सेवा पुस्तिका प्रेषित की जा चुकी है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से मात्र 22 वरिष्ठ सहायक एवं 05 कनिष्ठ सहायक ही कार्यरत है। श्रीमती स्वप्निल को इस विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त हुए 04 वर्ष से अधिक समय पूर्ण हो चुका है। उनके द्वारा किसी प्रकार का धारणाधिकार से सम्बन्धित कोई प्रार्थना–पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। मा0 परिषद द्वारा उपरोक्त प्रकरण से संज्ञानित होते हुए श्रीमती स्वप्निल, वरिष्ठ सहायक का

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	धारणाधिकार समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श करते हुए अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि धारणाधिकार समाप्त किये जाने से पूर्व एक अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने संबंधी पत्र श्रीमती स्वप्निल को प्रेषित कर दिया जाय।
16/40	**मा0 विद्या परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2022 में लिए गये निर्णयों पर विचार।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद की सम्पन्न 24वीं बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के निर्गत कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 24वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर सम्यक् विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।
17/40	**विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की 23वीं बैठक दिनांकः 09 मार्च, 2022, 24वीं बैठक दिनांकः 13 अप्रैल, 2022 एवं 25वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2022 में लिए गये निर्णयों पर विचार।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति की आहूत 23वीं बैठक दिनांकः 09 मार्च, 2022, सम्बद्धता समिति की आहूत 24वीं बैठक दिनांकः 13 अप्रैल, 2022 एवं सम्बद्धता समिति की आहूत 25वीं बैठक दिनांकः 12 जुलाई, 2022 के निर्गत कार्यवृत्तों में लिए गये निर्णय से मा0 कार्य परिषद संज्ञानित /अवलोकित हुई।
18/40	**विश्वविद्यालय की शोध नीति 2022 में क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदों बजट का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि मा0 विद्या परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 11 मार्च, 2022 एवं मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2022 में विश्वविद्यालय के शोध नीति 2022 पर प्रदत्त के क्रम में दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को विश्वविद्यालय में प्रभावी किया गया। उक्त शोध नीति 2022 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के विशेष कार्याधिकारी, शोध प्रकोष्ठ द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार करते हुए बजट प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद द्वारा निम्न प्रस्ताव पर अवलोकन किया गया। तत्क्रम में NACC समिति के सदस्य डॉ0 राशि कृष्ण सिन्हा द्वारा अवगत कराया गया है कि शोध नीति 2022 के पृष्ठ सं0–04, 05 एवं 06 **(संलग्नक–01)** में – 1– **2–Initiatives Proposed** के अन्तगर्त विन्दु सं0–01 एवं 03 पर उल्लिखित *Maha Rishi Kanad Gold Medal , Maha Rishi Bharadwaj Gold Medal, Megh Nath Saha Research Awards, Ramanujam Research Awards, Shri Radhakrishnan Research Awards, Acharya Bramha Gupta Research Awards, Bal Gangadhar Tilak Research Awards* एवं *Maharishi Ashtavakra Research Awards,* 2– बिन्दु सं0–04 पर उल्लिखित *Merit-cum-Means Institutional fellowship of Rs. 5000/ pm for some PhD scholars is also proposed.* बिन्दु सं0–05 पर उल्लिखित *It is also proposed to provide seed money 100000/- (One Lac) under start-up grant to the regular/full-time teachers having established credentials for carrying out research/ for faculty members showing potential for excellent research. However, newly appointed teachers shall further be encouraged to apply for the financial assistance to the UGC under start-up grant,* 3– बिन्दु सं0–06 पर उल्लिखित *Financial support for maximum twice in a year to faculty members for registration/TA/publication charge for the participation in seminar/workshop/ conferences both National and International is proposed to be provided.* 4– बिन्दु सं0–09 पर उल्लिखित *Centre for Interdisciplinary Research (CIR) shall be established to take up research in Basic Sciences, Applied Sciences, Allied Sciences, Material Science and Biomedical Engineering.* मा0 काय पारषद द्वारा उपराक्त प्रस्ताव पर ावचार–ावमश करत हुए ानणय ालया गया कि विश्वविद्यालय की शोध नीति 2022 में क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदों में बजट प्राविधान किये जाने के प्रस्ताव पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया। उक्त अनुमोदित प्रस्ताव के अनुक्रम में प्राप्त होने वाले बजट/धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/विनियमों/ शासनादेशों का पालन करते हुए यथावश्यक समिति गठित कर, जिसमें वित्त अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी, की संस्तुति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा। क्रम संख्या–02 के संदर्भ में मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक संकाय को धनराशि रू0 1.00 लाख की सीमा तक की आरम्भिक निधि आंवटित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

19/40 **रसायन विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 विनय कुमार सिंह, असिस्टेण्ट प्रोफेसर को अन्यत्र सेवा हेतु कार्यमुक्त किये जाने तथा उक्त विभाग में समन्वयक नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

निर्णयः— मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 विनय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय में **असिस्टेण्ट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान** के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स 68900—205500 लेवल 11 में मूल वेतन रू0 77600 में सतत् कार्यरत रहें, जिनकी नियुक्ति पत्र संख्या— नियुक्ति/APP-112461, दिनांक 25.06.2022 द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान के पद पर की गई। उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु डॉ0 विनय कुमार सिंह द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र दिनांक 27.06.2022 द्वारा किये गये अनुरोध पर मा0 कार्य परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय आदेश सं0—786/फा0सं0—830/व्य0पत्रा0/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0/ 2022—23, दिनांक 27.06.2022 द्वारा प्रथम चरण में नियमानुसार 90 दिवस (दिनांक 24.09.2022 तक) की अवधि का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करते हुए पूर्व में विश्वविद्यालय के पत्रांकः 685/फा0सं0— 830/2022—22, दिनांक 20 जून, 2022 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान के पद पर योगदान किये जाने हेतु कार्यमुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त मा0 कार्य परिषद को यह भी संज्ञानित कराया गया कि रसायन विज्ञान विभाग में वर्तमान में कोई प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत नहीं है मात्र असिस्टेण्ट प्रोफेसर के 01 पद पर डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह कार्यरत हैं, जिन्हें विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश सं0—1179/फा0सं0—499/2022—23, दिनांक 22 जुलाई, 2022 द्वारा समन्वयक नामित किया गया है।

मा0 कार्य परिषद उपरोक्त से अवगत होते हुए डॉ0 विनय कुमार सिंह, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान को तद्नुसार कार्यमुक्त किये जाने पर एवं 01 वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने तथा डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग को शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए नामित किये गये समन्वयक सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त प्रस्तावों पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

20/40 **विश्वविद्यालय की परिनियमावली, 2009 की अध्याय—आठ में वर्णित व्यवस्था पर विचार।**

अध्याय—आठ

अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति

8.01—विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति और उनकी वृत्ति विकास के लिए अपेक्षित अर्हताएं, समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में अध्यापकों की नियुदित और वृत्ति विकास के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) विनियमावली, 2000 द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार होंगी। नियमित नियुक्ति

8.02 विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा संकाय में अध्यापकों विशेष शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, चिकित्सा विज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु अर्हताएं वही होंगी जैसा कि भारतीय पुनरुद्धार परिषद द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

8.03—भारतीय पुनरुद्धार परिषद के विनियम या मार्ग दर्शन, विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा संकाय के अध्यापन और अन्य पदों की सेवा शर्तों, वृत्ति विकास और अर्हताओं के लिए प्रयोज्य होंगे।

8.04—परिनियम 8.01, 8.02, 8.03 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कार्यपरिषद, किसी उच्च शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त और वृत्तिक उपलब्धि वाले व्यक्ति को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जैसा कि वह उचित समझे विश्वविद्यालय में यथास्थिति आचार्य या उपाचार्य के पद या किसी अन्य शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति की विशेष रीति

निर्णयः— मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय की परिनियमावली, 2009 की अध्याय—आठ में वर्णित व्यवस्था पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय 08 अध्यापको एंव नियुक्ति एवं पदोन्नति के बिन्दु संख्या— 8.04 (नियुक्ति की विशेष रीति) में संशोधन की आवश्यकता बताया गया है। भविष्य में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय 08 अध्यापको एंव नियुक्ति एवं पदोन्नति के बिन्दु संख्या— 8.04 (नियुक्ति की विशेष रीति) का दुर्पयोग न हो सके। इसके लिए आवश्यकतानुसार निर्णय लिये जाने हेतु 02 सदस्यीय समिति का निर्देश प्रदान किया गया। समिति के

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	सदस्य निम्नवत् है:— 1. मा0 न्यायमूर्ति (से0नि0) आलोक कुमार सिंह, मा0 सदस्य, कार्य परिषद। 2. प्रो0 असीम कुमार मुखर्जी, मा0 सदस्य कार्य परिषद। मा0 परिषद द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समिति अपनी आख्या शीघ्रातिशीघ्र अग्रेतर कार्यवाही हेतु अध्यक्ष, मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।
21/40	**ललित कला विभाग में असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पद पर डॉ0 सुनीता शर्मा की नियुक्ति के सम्बन्ध में।**
	(क) विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 में लिए गये निर्णय के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या 23/38 में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ0 निशीथ राय द्वारा शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित गठित जांच समिति की आख्या पर प्रस्तर–(स) में डॉ0 सुनीता शर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया— *विश्वविद्यालय परिनियमावली के बिन्दु 8.04 के आधार पर कार्य परिषद के अधिकारों को स्वयं कुलपति द्वारा प्रयोग करते हुए डॉ0 सुनीता शर्मा का चयन किया गया। परन्तु विश्वविद्यालय परिनियमावली के बिन्दु 8.04 में विहित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यहां पर दो बाहय विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक विशेषज्ञ पैनल गठित कर दिया जाए जो सम्बन्धित अभ्यर्थी की अर्हताओं का परीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद को अपनी आख्या उपलब्ध कराये जिस पर अन्तिम निर्णय कार्य परिषद द्वारा लिया जायेगा परन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न होने पाये।* उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2009 के अध्याय–8 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है — अध्याय–आठ अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति 8.01–विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति और उनकी वृत्ति विकास के लिए अपेक्षित अर्हताएं, समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और वृत्ति विकास के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) विनियमावली, 2000 द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार होंगी। — नियमित नियुक्ति 8.02 विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा संकाय में अध्यापकों विशेष शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, चिकित्सा विज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु अर्हताएं वही होंगी जैसा कि भारतीय पुनरुद्धार परिषद द्वारा समय-समय पर विहित की जायें। 8.03–भारतीय पुनरुद्धार परिषद् के विनियम या मार्ग दर्शन, विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा संकाय के अध्यापन और अन्य पदों की सेवा शर्तों, वृत्ति विकास और अर्हताओं के लिए प्रयोज्य होंगे। 8.04–परिनियम 8.01, 8.02, 8.03 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कार्यपरिषद, किसी उच्च शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त और वृत्तिक उपलब्धि वाले व्यक्ति को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जैसा कि वह उचित समझे विश्वविद्यालय में यथास्थिति आचार्य या उपाचार्य के पद या किसी अन्य शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त कर सकता है। — नियुक्ति की विशेष रीति उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अनुक्रम में तत्कालीन कुलपति द्वारा ललित कला विभाग में डॉ0 सुनीता शर्मा को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पद पर विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के पत्र सं0 511/फा0सं0–302(पंचम)/प्रो0नि0/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2015–16 दिनांक: 30.06.2015 (नियुक्ति आदेश) निम्नानुसार निर्गत किया गया– विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अन्तर्गत असिस्टेण्ट प्रोफेसर (ललित कला) के पद पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर वेतनमान रू0 15,600–39,100 ए0जी0पी0 रू0 6,000 में निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :– 1. यह नियुक्ति प्राथमिक रूप से 03 वर्ष के लिए होगी। आपका कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

नियमानुसार समायोजित किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2. आपकी अन्य सेवा शर्तें डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम व परिनियमावली के अधीन रहेगी।

3. आपको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा। उक्त अनुबन्ध प्रपत्र की एक प्रति संलग्न है जिसे गैरन्यायिक (सामान्य) ₹ 100/– स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा तथा उसकी एक और प्रति वाटर मार्क पर जमा करनी होगी।

4. आप सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कन्ट्रीब्यूटरी पेंशन/उपदान/भविष्य निधि/जीवन बीमा लाभ के हकदार होंगे।

5. आपकी जन्मतिथि का निर्धारण हाईस्कूल/मैट्रीकुलेशन प्रमाण–पत्र या इसके समतुल्य परीक्षा के प्रमाण–पत्र में प्रविष्टि के आधार पर होगा।

6. यदि आप डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय, से इतर कहीं नियोजित हैं, तो अपने नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश (रिलीविंग आर्डर) तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेकर आएं अन्यथा आपको कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा।

7. किसी भी स्तर पर अथवा कभी भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि आप निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करते अथवा आप द्वारा तथ्यों को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, तो आपका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि आप उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर उक्त नियुक्ति को स्वीकार करते हैं तो अपनी सहमति लिखित रूप में पन्द्रह दिवस के भीतर प्रस्तुत कर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें। आपकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

उक्त बिन्दुओं के अनुपालन में डा0 सुनीता शर्मा ने अपने पत्र के साथ पूर्व संस्था कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर में संविदा के आधार पर प्रवक्ता, ललितकला के पद से दिये गये अपने पद से त्याग–पत्र की प्रति मूल रूप में संलग्न करते हुए सेवा स्थानान्तरण के आधार पर असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला के पद पर दिनांक 04.07.2015 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया है।

विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 में लिए गये निर्णय के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या 23/38 में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ0 निशीथ राय द्वारा शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित गठित जांच समिति की आख्या पर प्रस्तर–(स) में डॉ0 सुनीता शर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

विश्वविद्यालय परिनियमावली के बिन्दु 8.04 के आधार पर कार्य परिषद के अधिकारों को स्वयं कुलपति द्वारा प्रयोग करते हुए डॉ0 सुनीता शर्मा का चयन किया गया। परन्तु विश्वविद्यालय परिनियमावली के बिन्दु 8.04 में विहित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यहां पर दो बाह्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक विशेषज्ञ पैनल गठित कर दिया जाए जो सम्बन्धित अभ्यर्थी की अर्हताओं का परीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद को अपनी आख्या उपलब्ध कराये जिस पर अन्तिम निर्णय कार्य परिषद द्वारा लिया जायेगा परन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न होने पाये।

उक्त निर्णय के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 361/फा0सं0 1297/2022–23, दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा प्रो0 सोनू द्विवेदी, विभागाध्यक्ष, चित्रकला विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड एवं प्रो0 ए0 के0 जेटली, विभागाध्यक्ष, दृश्य कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज को विशेषज्ञ के रूप में नामित करते हुए दो सदस्यीय समिति गठित की गई।

उक्त विशेषज्ञ पैनल द्वारा डॉ0 सुनीता शर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला की शैक्षिक अर्हताओं का परीक्षण करते हुए अपनी आख्या उपलब्ध करायी है, जो इस प्रकार हैः–

दिनांक 27.05.2022

मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में गठित समिति की आख्या

मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 में लिए गये निर्णय के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक 143/फा0सं0–36(सप्तम)/डॉ.मि.रा.पु.वि./कार्य0परि0/2022–23, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 में बिन्दु संख्या–23/38 में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ0 निशीथ राय द्वारा शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति से सम्बन्धित गठित जांच समिति की आख्या पर प्रस्तर–(स) में निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

"विश्वविद्यालय परिनियमावली के बिन्दु संख्या–8.04 के आधार पर कार्य परिषद के अधिकार का स्वयं कुलपति द्वारा प्रयोग करते हुए डॉ0 सुनीता शर्मा का चयन किया गया, परन्तु विश्वविद्यालय परिनियमावली के बिन्दु 8.04 मे विहित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नही किया गया। यहा पर दो बाह्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए एक विशेषज्ञ पैनल गठित कर दिया जाए जो सम्बन्धित अभ्यर्थी की अर्हताओं का परीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद को अपनी आख्या उपलब्ध कराये जिस पर अन्तिम निर्णय कार्य परिषद द्वारा लिया जायेगा, परन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि भविष्य मे इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न होने पाये"

उक्त प्रदत्त निर्देश के अनुक्रम मे विश्वविद्यालय के पत्रांक 361/फा0सं01397/2022–23, दिनाक 20 मई, 2022 द्वारा प्रो0 सोनू द्विवेदी, विभागाध्यक्ष, चित्रकला विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड एवं प्रो0 ए0 के0 जेटली, विभागाध्यक्ष, दृश्य कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज को विशेषज्ञ के रूप में नामित करते हुए दो सदस्यीय समिति गठित की गई।

उक्त समिति द्वारा आज दिनांक 27.05.2022 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन मे बैठक आहूत की गई। समिति द्वारा डॉ0 सुनीता शर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला के समस्त शैक्षणिक अभिलेखों को अवलोकित किया गया, जो तत्समय विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या–19/भर्ती/वि0वि0/2014–15, दिनांक 16.02.2015 के अनुक्रम मे उल्लिखित थी, पर समिति ने डॉ0 सुनीता शर्मा के स्वप्रमाणित शैक्षणिक छायाप्रति अभिलेखों का निरीक्षण अर्हता के सम्बन्ध में किया गया –

क्र0 स0	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2010 मे असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला की निर्धारित अर्हता	डॉ0 सुनीता शर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला द्वारा तत्समय धारित अर्हताए
	i Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level, in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/Foreign University.	• बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से स्नातक स्तर पर बी0एफ0ए0– प्रथम श्रेणी–1996 • परास्नातक एम0एफ0ए0 (पेंटिंग)– प्रथम श्रेणी–1998
	ii Besides fulfilling the above qualifications, candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) for Lecturers conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause 4.4.2.3, candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree, in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges /Institutions. iii. Without prejudice to the above, NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted. OR i. A Professional artist with highly commendable professional achievement in the concerned subject, who should have: 1. First class Diploma in Visual (Fine) arts discipline from the recognized institution of India/Abroad; 2. Five years of experience of holding regular regional/National exhibitions/Workshops with evidence; and 3. Ability to explain the logical reasoning of the subject concerned and adequate knowledge to teach theory with illustrations in that discipline.	• नेट–यू0जी0सी0– वर्ष दिसम्बर, 1998 • बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी पी0एच0–डी0– विजुअल आर्ट्स वर्ष 2006

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ0 सुनीता शर्मा की सम्बन्धित शैक्षणिक अर्हताओं का परीक्षण समिति द्वारा उपरोक्तानुसार किया गया, जो असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला हेतु निर्धारित अर्हता के अनुरूप है।

(प्रो0 सोनू द्विवेदी) सदस्य विभागाध्यक्ष, चित्रकला विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड	(प्रो0 ए0 के0 जेटली) सदस्य एवं विभागाध्यक्ष, दृश्य कला विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

इस प्रकार विशेषज्ञ पैनल की संस्तुतियों के अनुसार डा0 सुनीता शर्मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने के साथ–साथ सतत/निरन्तर उच्च एकेडमिक निष्पादन (Continueous Good Academic Performance) धारित करती हैं। विश्वविद्यालय की परिनियमावली, 2009 के अध्याय–आठ के प्रस्तर 8.04 में दी गई व्यवस्था में *'नियुक्ति की विशेष रीति'*– ***"परिनियम 8.01, 8.02, 8.03 के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कार्य परिषद, किसी उच्च शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त और वृत्तिक उपलब्धि वाले व्यक्ति को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जैसा वह उचित समझे विश्वविद्यालय में यथाशक्ति आचार्य या उपाचार्य के पद या किसी अन्य शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त कर सकता है।"*** के अन्तर्गत मा0 कार्य परिषद को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मा0 कार्य परिषद, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व में डॉ0 सुनीता शर्मा के सन्दर्भ में की गई त्रुटि को भविष्य में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति न किये जाने तथा भविष्य में या भूतकाल में की गई किसी अन्य नियुक्ति हेतु दृष्टान्त के रूप में अथवा उद्धरण के रूप में स्वीकार न किये जाने के निर्देश के साथ, विश्वविद्यालय की परिनियमावली 8.04 के अन्तर्गत नियुक्ति की विशेष रीति में वर्णित व्यवस्था के आधार पर विश्वविद्यालय में पूर्व से सेवारत डॉ0 सुनीता शर्मा को सहायक आचार्य, ललित कला विभाग के पद पर नियमित किया जाता है।

(ख) मा0 कार्य परिषद द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय की आवश्यकता के दृष्टिगत डॉ0 सुनीता शर्मा की सेवा विस्तार किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तदोपरान्त मा0 कार्य परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 23.06.2021 में बिन्दु संख्या–12/33 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

मा0 कार्य परिषद द्वारा डॉ0 सुनीता शर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या से अवगत होते हुए शैक्षिक सत्र का मध्य व शिक्षकवृन्द की कमियों के दृष्टिगत दिनांक 01.01. 2021 से 31.12.2021 तक सेवा विस्तारीकरण किए जाने पर सम्यक् विचारोपरान्त औपचारिक कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसी सन्दर्भ में मा0 कार्य परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में डॉ0 सुनीता शर्मा की अग्रेत्तर सेवाए दिये जाने हेतु शैक्षिक आवश्यकता, कोविड–19 की विषम परिस्थितियों व शैक्षणिक सत्र के मध्य होने के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2022 से शैक्षिक सत्र 2021–22 के समाप्ति तक सेवाएं विस्तारित किये जाने हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

मा0 कार्य परिषद कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

22/40 **विश्वविद्यालय की मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक के बिन्दु सं0–24/39 के उप बिन्दु संख्या–04 पर कृत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 के बिन्दु संख्या– 6/7(अ) में लिए गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 07.10.2021 को उक्त प्रकरण को मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर बिन्दु संख्या– 3/35 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय के कार्यकाल में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की गयी अनियमित नियुक्तियों

(अमित कुमार सिंह) कुलसचिव डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ।	(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह) कुलपति डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

की जांच हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की दो सदस्यीय समिति बनाये जाने का निर्णय प्रदान किया गया।

मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021 में लिए गये निर्णय के क्रम में जांच हेतु 02 सदस्यीय समिति (न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ) का गठन विश्वविद्यालय के पत्रांक 1400/फा0सं0– 1297/शा0जांच/डॉ. श.मि.रा.पु.वि./2021–22, दिनांक 29.10.2021 द्वारा किया गया।

उक्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कार्यविरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय पर संस्थित जांच के अन्तर्गत आच्छादित/सम्बन्धित शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों की नियुक्तियों के प्रकरण पर डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एवं तत्सम्बन्धी परिनियमावली, 2009 तथा अन्य सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं के आलोक में विस्तृत जांच करते हुए संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराई गई। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच आख्या के संबंध में मा0 कार्य परिषद द्वारा 38वीं बैठक में विचार–विमर्श करते हुए जांच आख्या मा0 कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक में लिए गये निर्णय अनुक्रम में जांच समिति (02 सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर, एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ) से गैर–शैक्षिक संवर्ग के संदर्भों में जांच किये जाने हेतु किये गये अनुरोध पर पुनः जांचोपरान्त आख्या मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13 जून, 2022 के बिन्दु संख्या–24/39 के उप बिन्दु संख्या–(4) में गैर–शैक्षिक संवर्ग के संदर्भों में जांचोपरान्त प्रस्तुत की गयी विस्तृत जांच आख्या का अवलोकन करते हुये सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय प्रदान किये गये:–

"तत्कालीन कार्य विरत कुलपति डॉ0 निशीथ राय के कार्यकाल में हुयी गैर–शैक्षिक संवर्ग की नियुक्तियों से सम्बन्धित जांच समिति (02 सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह राठौर, एवं न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री प्रत्युष कुमार मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ) द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या को मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यथावत स्वीकार किया गया।

जांच समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या पर विधि अधिकारी, श्री आलोक मिश्रा को 15 दिवस का समय देकर अभ्यावेदन प्राप्त कर लिया जाय, तथा अभ्यावेदन हेतु निर्गत नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय कि तत्समय विधि अधिकारी के पद पर आपका चयन अनियमित होने के दृष्टिगत क्यों न आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए।"

उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में पत्रांक 656/फा0सं0–786/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2022–23, दिनांक 16 जून, 2022 द्वारा पत्र के माध्यम से जॉच समिति की जॉच आख्या के संगत अंश को संलग्न करते हुए ***विधि अधिकारी, श्री आलोक मिश्रा को 15 दिवस का समय देकर अभ्यावेदन*** प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई।

तत्क्रम में श्री आलोक मिश्रा, विधि अधिकारी द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 30.06.2022 को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया गया, जो इस प्रकार है :–

"यह कि प्रार्थी को उक्त कारण बताओं नोटिस दिया गया है किन्तु उसमें उल्लिखित माननीय सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 16.09.2021 के निर्णय की प्रति, माननीय कार्य परिषद द्वारा दिनांक 07.10.2021 में लिए गये निर्णय की प्रति, जांच अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी पत्र दिनांकित 29.10.2021 तथा सम्पूर्ण जांच आख्या की प्रति नहीं उपलब्ध कराई गई है। उपरोक्त प्रपत्रों के अभाव में कारण बताओं नोटिस का पूर्ण रूप में से जवाब दे पाना कठिन है और ऐसा स्पष्ट होता है कि जानबूझकर व दुर्भावनावश उक्त प्रपत्र प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराये गये, क्योंकित उससे यह स्पष्ट हो जाता कि प्रश्नगत कारण बताओं नोटिस मनमाना, विधि विरूद्ध एवं गैर–कानूनी है एंव प्रारम्भ से ही शून्य है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति 30.04.2015 को जारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से हुयी जिसे विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति प्राधिकारी माननीय कार्य परिषद है और माननीय कार्य परिषद ने दिनांक 11.08.2015 को अपनी 15वीं बैठक में प्रार्थी की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया था। माननीय कार्य परिषद को अपने ही निर्णय दिनांक 11.08.2015 को पुनर्विलोकन (Review) करने का अधिकार न तो डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 में और न ही डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) प्रथम परिनियमावली, 2009 में प्रदत्त है। माननीय उच्चतम् न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कई महत्वपूर्ण वादों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी सक्षम प्राधिकारी/निकाय में कोई विशिष्ट शक्ति स्पष्ट रूप में निहित नहीं है तो वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में माननीय कार्य परिषद को अपने ही निर्णय दिनांक 11.058.2015 का पुनर्विलोकन (Review) नहीं करना चाहिये था। अतैव पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग विधि विरूद्ध और मनमाना है। अतः आप द्वारा मुझे जारी कारण बताओं नोटिस प्रारम्भ से ही विधि शून्य है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी आपके संज्ञान में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ की रिट याचिका संख्या 1432(एस/बी)/2015, डॉ0 राजेन्द्र बहादुर सिंह आदि बनाम राज्य सरकार आदि में दिये गये निर्णय को लाना चाहता है। उपरोक्त निर्णय के पैरा 51, 52, 53, 54, और 55 का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ जिसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कार्य परिषद के पास पुनर्विलोकन (Review) की शक्ति सम्बन्धित अधिनियम और परिनियमावली में प्रदत्त नहीं है तो व उसका प्रयोग नहीं कर सकती है। उपरोक्त निर्णय की प्रति इस उत्तर के साथ संलग्नक संख्या–01 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2. उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही यह स्पष्ट करना है कि प्रार्थी या अन्य किसी भी शैक्षिक अथवा गैर–शैक्षिक संवर्ग के पदों पर कोई भी नियुक्ति तत्कालीन कुलपति ने स्वयंमेव नहीं की थी, क्योंकि कुलपति को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 और डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) प्रथम परिनियमावली, 2009 के तहत इस प्रकार की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वस्तुतः प्रार्थी सहित अन्य संवर्ग की समस्त नियुक्तियों का प्राधिकार माननीय कार्य में ही निहित है और उसी के द्वारा ये नियुक्तियां की भी गई थी। कुलपति माननीय कार्य परिषद का मात्र चेयरपर्सन होता है। डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 की धारा–14 के तहत माननीय कार्य परिषद का निम्न सदस्यों द्वारा गठन होता है :– i. कुलपति ii. सामान्य परिषद के 03 सदस्य, जो सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे। iii. निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार। iv. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। v. विश्वविद्यालय का कुलसचिव। vi. कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 03 प्रख्यात शिक्षाविद्। vii. सामाजिक ख्याति प्राप्त 03 व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे। viii. महासचिव या सचिव डॉ0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ। ix. ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के 02 पूर्ण कालिक ज्येष्ठ आचार्य। गौर तलब है कि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्र अधिनियम, 2009 की धारा 18(3) के तहत माननीय कार्य परिषद का कोरम कुल सदस्यों के 1/3 से होने की बात कही गयी है वहीं धारा 18(4) में सभी सदस्यों को समान वोट/मत का अधिकार देने की कही गई है जिसमें बराबरी होने पर चेयरपर्सन को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गय जिससे स्पष्ट है कि माननीय कार्य परिषद सदैव बहुमत से निर्णय करती है। ऐसे में यह नहीं कहा सकता कि जो कुलपति का निर्णय है वही माननीय कार्य परिषद का भी निर्णय होगा। स्पष्ट है कि मान कार्य परिषद विश्वविद्यालय की एक स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी निकाय है। विश्वविद्यालय की माननीय परिषद के गठन में मौजूद सदस्यों की वरिष्ठता इस प्रकार की थी कि तत्कालीन कुलपति उन पर अनु दबाव बनाकर किसी प्रकार का निर्णय नहीं करा सकते थे। साथ ही किसी भी जांच रिपोर्ट में प्रथम दृ भी यह बात नहीं मानी गयी कि तत्कालीन कुलपति ने 11.08.2015 को हुयी कार्य परिषद की बैठक में की नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए कार्य परिषद के अन्य उपस्थित सदस्यों पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव डाला हो। इस स्थिति में जब कार्य परिषद ने 11.08.2015 को प्रार्थी की नियुक्ति अनुमोदन कर दिया था तो माननीय कार्य परिषद पुनः उस निर्णय का पुनर्विलोकन (Review) नहीं सकती हैं। यद्यपि कि आप द्वारा कारण बताओं नोटिस के साथ उपरोक्त यथावांछित प्रपत्र प्रार्थी को प्रदान किये गये हैं, जिनको उपलब्ध कराने के पश्चात् प्रार्थी अग्रिम उत्तर प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा भी जो प्रपत्र व तथ्य प्रार्थी के पास स्वयंमेव से उपलब्ध है उनके आधार पर प्रार्थी अपना यथा

(अश्विनी कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

अन्तिरिम उत्तर प्रस्तुत कर रहा है :

3. यह कि प्रार्थी को विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा दिनांक 30–04–2015 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, इसके पश्चात दिनांक 11–08–2015 को माननीय कार्यपरिषद ने अपनी 15वीं बैठक के बिन्दु 15.16 के तहत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु के अंतर्गत बिन्दु संख्या 07 में प्रार्थी की नियुक्ति को अनुमोदित किया था। उक्त बिन्दु संख्या 07 संबंधी प्रपत्र दिनांकित 11–08–2015 इस उत्तर के साथ संलग्न संख्या 02 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

4. यह कि पूर्व कुलपति डॉ निशीथ राय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा एक जांच संस्थित की गयी थी जिसमें जांच अधिकारी ने दिनांक 20–12–2018 को अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की थी इस जांच आख्या में जांच अधिकारी ने पैरा (12)(14.01) लगायत (12)(14.02) में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि पूर्व कुलपति डॉ निशीथ राय द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द करने की संस्तुति देने का अधिकार उन्हें नहीं है। उक्त जांच आख्या के संबन्धित प्रपत्र इस उत्तर के संलग्नक 03 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

5. यह कि उक्त रिपोर्ट दिनांक 20–12–2018 पर माननीय सामान्य परिषद ने कहा कि डॉ निशीथ राय कार्य विरत कुलपति के विरुद्ध जाँचों उपरांत जो अन्य तकनीकी/प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितताएँ स्थापित हुयी हैं उन पर विधिक परामर्श प्राप्त करते हुये विश्वविद्यालय स्तर पर नियमानुसार कार्यवाई की जाये। माननीय सामान्य परिषद में नियुक्तियों की जांच कराने के बारे में कोई आदेश नहीं दिया था। माननीय सामान्य परिषद के दिनांक 25–01–2019 से संबन्धित प्रपत्र उत्तर के साथ संलग्नक 04 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

6. यह कि इसके पश्चात माननीय कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि

   "In my opinion, no action is required because the person concerned has already completed his tenure and now no more is service but for making irregularities in the appointment and selection, the payment made to the person is recoverable from the erring officials who have committed the Irregularities in the selection that too after giving the opportunity of hearing."

   इस विधिक परामर्श में भी विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने प्रार्थी की नियुक्ति का पुनर्विलोकन (Review) करने का कोई सुझाव नहीं दिया था क्योंकि संभवतः वह भी इस विधिक तथ्य से अवगत थे कि जब माननीय कार्य परिषद ने प्रार्थी की नियुक्ति का 11–08–2015 को अनुमोदन कर दिया था तो वह उसका पुनर्विलोकन (Review) नहीं कर सकती क्योंकि डॉ शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु), उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 में और न ही डॉ शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) प्रथम परिनियमावली 2009 में माननीय कार्य परिषद को पुनर्विलोकन (Review) की शक्ति प्रदत नहीं की गयी है। इसके बावजूद माननीय कार्य परिषद ने विधिक परामर्श को दरकिनार करते हुये उसकी मनमानी विधि विरुद्ध व्याख्या करते हुये प्रार्थी की नियुक्ति के पुनर्विलोकन (Review) हेतु 03 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। माननीय कार्य परिषद यह कृत्य गैर कानूनी, मनमाना तथा विधि विरुद्ध था, अतः उसके क्रम में की गयी समस्त कार्यवाइयाँ भी प्रारम्भ से शून्य हैं। माननीय कार्य परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 11–09–2019 का संगत कार्यवृत्त इस उत्तर के साथ बतौर संलग्नक 05 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

7. यह कि माननीय कार्य परिषद द्वारा 10–10–2019 को कुलपति महोदय की अध्यक्षता में प्रो अभय जैन व प्रो असीम कुमार मुखर्जी की 03 सदस्यीय जांच समिति गठित की और समिति ने शिक्षकों की नियुक्तियों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी तथा प्रार्थी के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी।

8. यह कि जहां तक प्रार्थी को ज्ञात है अथवा उसके संज्ञान में है उक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 16–09–2021 को माननीय सामान्य परिषद के 7वीं बैठक में प्रस्तुत की गयी थी। बैठक में यद्यपि माननीय सामान्य परिषद में पृथक पृथक अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक पृथक संस्तुति न प्रस्तुत करने पर अप्रसन्नता जताई थी किन्तु इस बैठक में भी न तो प्रार्थी से संबन्धित कोई प्रकरण प्रस्तुत किया गया न ही कोई टिप्पणी की गयी थी। माननीय सामान्य परिषद की बैठक के इस तथ्य को माननीय कार्य परिषद द्वारा छुपाये जाने के दृष्टिगत ही विश्वविद्यालय ने प्रार्थी को उक्त सामान्य परिषद के 7वीं बैठक दिनांक 16–09–2021 के एजेंडा और कार्यवृत को दुर्भावनावश उपलब्ध नहीं कराया है।

9. यह कि, यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सामान्य परिषद के कार्यवृत दिनांक 16–09–2021 का बहाना लेकर माननीय कार्य परिषद ने अपनी 35वीं बैठक दिनांक 07–10–2021 को एक नयी जांच

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

समिति बना दी। उस जांच समिति ने गैर–शैक्षिक संवर्ग, जिसमें प्रार्थी की नियुक्ति भी आती है के सम्बन्ध में अपनी प्रथम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जांच के दौरान उनके समक्ष ऐसा कोई रिकॉर्ड/दस्तावेज नहीं पेश कर सके जिसमें प्रार्थी या अन्य गैर–शैक्षिक संवर्ग की नियुक्तियों के बारे में विपरीत तथ्य प्राप्त होते। इस जांच समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में वस्तुतः कहा है कि–

So far as the appointment of Non-Teaching Staff is concerned during the course of enquiry, the university authorities could not produce before us any record which adversely affects their appointment."

माननीय कार्य परिषद की 19–04–2022 की 38वीं बैठक में प्रस्तुत की गयी उक्त रिपोर्ट का संबन्धित कार्यवृत्त इस उत्तर के संलग्नक 08 के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

10. यह कि जहां तक प्रार्थी को इस संबंध में ज्ञात है माननीय कार्य परिषद ने मनमाफिक रिपोर्ट प्राप्त न होने की वजह से जांच समिति की प्रथम रिपोर्ट को खारिज कर पुनः उसी समिति से जांच करने को कहा और जांच समिति को इस हद्द तक और इस प्रकार प्रभावित किया गया कि उसे प्रार्थी सहित अन्य गैर शैक्षिक कार्मिकों के विरुद्ध अपनी जांच रिपोर्ट देनी ही पड़ी। जिसकी पुष्टि माननीय कार्य परिषद की 13–06–2022 की 39वीं बैठक के कार्यवृत के माध्यम से की जा सकती है और इस हेतु ही प्रार्थी द्वारा माननीय कार्य परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवृत की मांग की गयी है।

11. यह कि माननीय कार्य परिषद के दबाव में अंततः जांच समिति द्वारा दूसरी बार में प्रार्थी व अन्य गैर–शैक्षिक संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध अपनी दूसरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

12. यह कि माननीय कार्य परिषद ने अपनी मनमाफिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर 13–06–2022 को बिना उस पर विस्तृत निष्कर्ष (Findings) प्राप्त किये व कारण दिये बिना ही उक्त जांच रिपोर्ट को यथावत स्वीकार कर लिया। माननीय कार्य परिषद के कृत्यों से स्पष्ट होता है कि वह प्रारम्भ से प्रार्थी व अन्य गैर शैक्षिक कर्मियों के विरुद्ध निर्णय लेने को कटिबद्ध थी और ऐसे में उसने इस विधिक तथ्य से भी किनारा करने में कोई संकोच नहीं किया कि उसे 11–08–2015 को स्वतः दिये जा चुके अनुमोदन के पुनर्विलोकन (Review) की कोई शक्ति प्राप्त नहीं थीं।

13. यह कि कारण बताओं नोटिस के साथ जांच समिति के कुछ प्रपत्र संलग्न किये गये हैं जिसमें प्रार्थी की नियुक्ति को गलत बताया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जांच समिति ने जानबूझ कर परिनियमावली, 2009 के पैरा 10.01 के सम्पूर्ण परंतुकों का अवलोकन नहीं किया और इस पैरा के परंतुक 03 के पढ़ने से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विधि अधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति की जा सकती थीं। सम्पूर्ण पैरा 10.01 नीचे उल्लिखित है:–

"10.01 The qualifications required and procedure to be followed for the appointment on non teaching staff of group "C" in the University shall be as per the provisions of Uttar Pradesh Direct Recruitment Rules, 2002 (Outside the perview of Public Service Commission) for group "C" post as amended from time to time:

Provided that the post which are either not covered under the above rule or which are of senior level post, the appointment on such post shall be made either by deputation or transfer of service as provided in GO no. 2893/65-2-2008-57(vividh)-2008, dated December 30,2008 of State Government regarding the creation of posts for the university:

Provided further that where the appropriate candidates are not available and eligible candidates are willing to render their full services in the University the appointment on such post of senior level shall be made directly by the Registrar from amongst the candidates who fulfil the criteria of pay scale and seniority as contained in GO no. 2893/65-2-2008-57(vividh)-2008, dated December 30, 2008:

Provided also that the appointment on the posts of senior level shall be made only till the candidates on the posts of junior level eligible for promotion to such posts are not available."

यदि विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण के जरिये विश्वविद्यालय में विधि अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी तो यह विश्वविद्यालय की ओर से की गई अनियमितता कही जा सकती है। जिसमें प्रार्थी की कोई भूमिका नहीं थी और न ही ऐसी किसी भूमिका के बारे में जांच रिपोर्ट में कोई उल्लेख किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पैरा 10.01 के दूसरे परंतुक के मद्देनजर विधि अधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति में कोई विधिक अड़चन नहीं थी। यही वजह है कि गैर–शैक्षिक संवर्ग के विभिन्न उच्च पदों पर, विधि अधिकारी के पद पर प्रार्थी की

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति किये जाने के पूर्व भी विश्वविद्यालय में 2011 में उप कुलसचिव (सेवानिवृत्त) तथा सिस्टम एनालिस्ट, 2009 में सहायक कुलसचिव और उसके पश्चात् 2015 में पुनः सहायक कुलसचिव सहित वर्ष 2022 में वर्कशाप मैनेजर एवं उप कुलसचिव के पद पर की गयी नवीन नियुक्ति भी सीधी भर्ती के माध्यम से ही की गयी हैं।
	14. यह कि कारण बताओं नोटिस के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट है कि विज्ञापन को रोजगार समाचार में छपने के लिए भेजा गया था तो ऐसे में इम्प्लाइमेंट एक्स्चेंज में रिक्तियों को नोटिफाई न किया गया हो ऐसा तथ्य सामान्य समझ से परे है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से अब तक विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से अनेको शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक नियुक्तियां की गई हैं परन्तु जहां तक प्रार्थी को ज्ञात है विश्वविद्यालय द्वारा किन्हीं भी नियुक्तियों से सम्बन्धित विज्ञापनों को इम्प्लाईमेण्ट एक्स्चेंज में नोटिफिकेशन हेतु प्रेषित नहीं किया गया था/है। ऐसे में मात्र प्रार्थी के मामले में इस आधार पर कार्य किया जाना मनमाना एवं दुर्भावनापूर्ण हैं, जबकि किन्हीं भी परिस्थितियों में विज्ञापनों को इम्प्लॉइमेंट एक्स्चेज में नोटिफिकेशन हेतु प्रेषित किये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापनों की सूची इस उत्तर के साथ संलग्नक–07 के रूप में प्रस्तुत की जा रही है।
	15. यह कि प्रार्थी ने वर्ष 2002 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में दिनांक 22–02–2003 को अपना पंजीकरण कराया जिसकी पंजीकरण संख्या UP2415/2003 है इसके बाद से ही प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करना प्रारम्भ कर दिया गया। प्रार्थी ने वर्ष 2005 से 2015 तक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एन. चौधरी के सानिध्य में प्रैक्टिस की। इसी दौरान 2012 में उच्च न्यायालय में AOR बनना प्रारम्भ हुये जिसमें प्रार्थी द्वारा भी अपना पंजीकरण कराया जिसकी पंजीकरण संख्या B/A0448/2012 है। प्रार्थी ने वर्ष 2015 में विश्वविद्यालय द्वारा विधि अधिकारी के पद हेतु जारी किये गये विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया और निर्धारित साक्षात्कार तिथि दिनांक 29–04–2015 को विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबन्धित अभिलेखों के सत्यापन के दौरान अपनी अर्हताओं से संबन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत किये थे और मांगे जाने पर अनुभव प्रमाण पत्र की मूलप्रति उपलब्ध करा दी थी जिसके पश्चात चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण की गयी। जांच रिपोर्ट में स्क्रीनिंग समिति की जो टिप्पणी अंकित है उसके सम्बंध में प्रार्थी को कोई संज्ञान नहीं है क्योंकि यह विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का अंग थी। प्रार्थी पुनः उसके पास संरक्षित AOR तथा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की छायाप्रति इस उत्तर के साथ बतौर संलग्नक 08 के रूप प्रस्तुत कर रहा है।
	16. यह कि डॉ शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु), उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 की धारा 44(1)(a) और (c) मे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि माननीय कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय से संबन्धित चाहे वह नियुक्तियों का मामला ही क्यों न हो, यदि कोई निर्णय लिया गया हो और उसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक अनियमितता घटित हो गयी हो तो यदि वह अनियमितता प्रकरण के गुणदोष पर कोई प्रभाव न डालती हो तो मात्र अनियमितता के कारण लिया गया निर्णय अविधिमान्य नहीं हो जायेगा। प्रस्तुत मामले में यदि विश्वविद्यालय की ओर से विधि अधिकारी सहित अन्य शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के पदों को भरने में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक अनियमितता हो भी गयी हो और उन्हें माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका हो तो भी उक्त नियुक्तियाँ अविधिमान्य नहीं हो जाती क्योंकि इसमें नियुक्त अभ्यर्थियों की अर्हताओं व अनुभव इत्यादि के गुणदोष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मेरे मामले में विधि अधिकारी पद के लिए शैक्षिक अर्हता विधि स्नातक और उच्च न्यायालय में 08 वर्षों की प्रैक्टिस का अनुभव मांगा गया था जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है वर्ष 2002 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और तत्पश्चात उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में दिनांक 22–02–2003 को अपना पंजीकरण कराया जिसकी पंजीकरण संख्या UP2415/03 है इसके बाद से ही प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करना प्रारम्भ कर दिया गया। प्रार्थी ने वर्ष 2005 से 2015 तक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. एन. चौधरी के सानिध्य में प्रैक्टिस की। इसी दौरान 2012 में उच्च न्यायालय में AOR बनना प्रारम्भ हुये जिसमें प्रार्थी द्वारा भी अपना पंजीकरण कराया जिसकी पंजीकरण संख्या B/A0448/2012 है। जिसके अनुसार मेरे पास लगभग 12 वर्षों की प्रैक्टिस का अनुभव था। इस प्रकार मेरे मामले में विश्वविद्यालय की ओर से यदि कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता हो भी गयी है, (जिसका मेरे द्वारा ऊपर के बिन्दुओं में खंडन भी किया गया है) तो भी मेरे

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय

	प्रकरण में गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अतः मेरे चयन को अनियमित बताकर मेरे विरुद्ध जारी किया गया कारण बताओ नोटिस विधि विरुद्ध है। *17. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु), उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 की धारा 16 में माननीय कार्य परिषद की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि माननीय कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय है और समस्त शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक नियुक्तियों के अनुमोदन का अधिकार उसे ही प्राप्त है। इस सम्बंध में माननीय सामान्य परिषद को भी परिषद के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई प्रविधान डॉ शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु), उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 और डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरुपेण योग्य हेतु) प्रथम परिनियमावली 2009 में नहीं है ।* *अतः चूंकि माननीय कार्य परिषद ने जब 11–08–2015 को प्रार्थी की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया था तो न तो वह स्वयं और न ही माननीय सामान्य परिषद के निर्देश पर अपने उक्त आदेश का पुनर्विलोकन (Review) करने का अधिकार रखती थी किन्तु फिर भी उसने अपने अधिकारों से परे जा कर प्रार्थी व अन्य शैक्षिक/गैर–शैक्षिक कार्मिकों की नियुक्तियों के पुनः परीक्षण हेतु पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग, विद्वेषपूर्ण मनमाने, गैर–कानूनी, एवं विधि विरुद्ध तरीके से किया। उक्त के क्रम में आप द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस प्रारम्भ से ही शून्य तथा प्रभावहीन है और वापस लेकर खारिज किये जाने योग्य है।''* तत्क्रम में मा0 कार्य परिषद द्वारा विधि अधिकारी, श्री आलोक मिश्रा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उलिलखित बिन्दुओं का गहनता से परिशीलन किया गया, विधि अधिकारी श्री आलोक मिश्रा द्वारा विश्वविद्यालय के विधि अधिकारी पद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं के संदर्भ में आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा श्री आलोक मिश्रा, विधि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक–30.06.2022 में कोई भी ऐसा नया तथ्य अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं के सापेक्ष श्री आलोक मिश्रा की अर्हता को स्थापित करता हो अथवा जिससे जांच अधिकारी के निष्कर्षों से भिन्नता की स्थिति उत्पन्न हो। इस प्रकार श्री आलोक मिश्रा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन बलहीन पाया गया। अतः मा0 कार्य परिषद द्वारा जॉच समिति की जॉच आख्या विधि अधिकारी श्री आलोक मिश्रा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परिशीलन करते हुए सम्यक् विचारोपरांत विश्वविद्यालय के विधि अधिकारी पद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विज्ञापन में निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण न करने के कारण श्री आलोक मिश्रा का विश्वविद्यालय के विधि अधिकारी पद पर किया गया चयन समाप्त किये जाने का निर्णय प्रदान करते हुए सुस्पष्ट आदेश कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
23/40	**डॉ0 अवधेश प्रसाद मिश्रा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला के नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार।**
	मा0 सामान्य परिषद की सप्तम् बैठक दिनांक 16.09.2021 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम मा0 कार्य परिषद की 35वीं बैठक दिनांक 07.10.2021 के निर्णय के अनुक्रम में डॉ0 निशीथ राय, पूर्व कुलपति द्वारा शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक संवर्ग के पदों पर की गई नियुक्ति पर मा0 उच्च न्यायालय के 02 सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति द्वारा जांच हेतु समिति का गठन किया गया। जिसके क्रम में युक्ति–युक्त विस्तृत जांच करते हुए अपनी संस्तुति सहित आख्या मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई, जिसमें बिन्दु संख्या–23/38 के प्रस्तर–(ब) निम्नानुसार निर्णय लिया गया– ***समिति के अनुसार डॉ0 अवधेश प्रसाद मिश्रा का चयन 2011 के विज्ञापन पर 2014 में किया जाना नियमसंगत नहीं है, अतः चयनित अभ्यर्थी से अभ्यावेदन प्राप्त कर चयन पर अन्तिम निर्णय हेतु अगली कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।*** जिस पर मा0 परिषद द्वारा उक्त जांच की आख्या पर सम्बन्धित शिक्षकवृन्द से अभ्यावेदन प्राप्त करते हुए उस जांच हेतु एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा अभ्यावेदन पर जांच करते हुए अपनी संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराई गई, जिसे मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक दिनांक 13.06.2022 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मा0 कार्य परिषद की 39वीं बैठक में डॉ0 अवधेश प्रसाद मिश्र की सेवा समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया, जिस पर कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से किया जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में डॉ0 अवधेश प्रसाद मिश्रा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, ललित कला के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– ई–4071/जी0एस0/दिनांकः 06 जुलाई 2022 डॉ0 अवधेश प्रसाद मिश्रा के प्रार्थना–पत्र को संलग्न करते हुए उनके द्वारा अपनी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	नियुक्ति के सम्बन्ध में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण 13 जून, 2022 को समाप्त किये जाने के प्रकरण में प्रत्यावेदन दिया है, जिसको संलग्न करते हुए अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल द्वारा डॉ0 मिश्रा के प्रस्तुत प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक परीक्षण करते हुये गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने की अपेक्षा की गई हैं। उपरोक्त से अवगत होते हुए मा0 कार्य परिषद द्वारा कार्य परिषद के 39वीं बैठक में लिये गये निर्णय को गुण दोष के आधार पर लिये गये निर्णय के रूप में स्वीकार करते हुए राजभवन को यथावत् सूचना प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये तथा पूर्व निर्णय यथावत् बनाये रखने पर सहमति व्यक्त की गई।
24/40	**वरिष्ठ सहायक एवं सहायक लेखाकार के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार/नियत मानदेय पर भरे जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–2893/65–2– 2008–57(विविध)/2008 दिनांक 30.12.2008 द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणी के पदों का सृजन किया गया है। उक्त शासनादेश में सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सृजित लिपिकीय संवर्ग के पदों का भी सृजन किया गया है। शासन द्वारा इन पदों की प्रति वर्ष सृजित रहने की निरन्तरता प्रदान की जा रही है, वर्तमान में समस्त पदों की निरन्तरता दिनांक 29.02.2021 तक शासन द्वारा प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में सृजित लिपिकीय संवर्ग के कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं प्रधान सहायक के पदों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	पदनाम	पदों की सं0	भरे पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	कनिष्ठ सहायक	113	05	108	सीधी भर्ती
2.	वरिष्ठ सहायक	54	23*	31	पदोन्नति के आधार पर
3.	प्रधान सहायक	09	00	09	पदोन्नति के आधार पर
इसी प्रकार लेखा संवर्ग :–					
4.	सहायक लेखाकार	12	04	08	सीधी भर्ती के पद

वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत 113 पद के सापेक्ष मात्र 05 कार्मिक कार्यरत हैं। प्रथम चरण में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत 23 कार्मिकों को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरान्त वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जिस पर वे कार्यरत हैं, उक्त में 01 वरिष्ठ सहायक के पद कार्यरत *श्रीमती स्वप्निल का उ0 प्र0 सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हो जाने के कारण 02 वर्ष से अधिक समय से असाधारण अवैतनिक अवकाश पर हैं। वरिष्ठ सहायक के 01 पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत है।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में सहायक लेखाकार के 08 पद सीधी भर्ती पर रिक्त है मात्र मात्र 04 लेखाकार ही कार्यरत होकर सेवाएं दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में 29 विभाग क्रियाशील हैं, कुल 82 नियमित शिक्षकवृन्द, के साथ–साथ लगभग विभिन्न श्रेणी के अनुबन्ध आधारित अतिथि व्याख्याता द्वारा लगभग 5000 विद्यार्थी का पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालय का प्रसार दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है, परन्तु गैर–शैक्षिक कार्मिक/लिपिकीय संवर्ग में मात्र 23 वरिष्ठ सहायक, 05 कनिष्ठ सहायक, 04 लेखाकार एवं 06 वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 पद पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यो का निवर्हन किये जानें कठिनाईयों का सामना होने के साथ किया जा रहा है तथा समय–समय पर शासन के महत्वपूर्ण कार्य लम्बित होने के साथ कर्मचारियों पर अधिक का दबाव पड़ रहा है।

अतः लिपिकीय संवर्ग में कर्मचारियों की कमी के कारण दृष्टिगत कार्यालय का प्रस्ताव है कि लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठित ढांचा में वरिष्ठ सहायक के 54 पद सृजित है, जिसमें वर्तमान में **31 पद रिक्त** है जिन्हें आगामी 05–06 वर्षों में पूर्ण किया सम्भव नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ सहायक के समस्त पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाने हेतु पदों का सृजन किया गया है।

ऐसी स्थिति में कार्यालय का प्रस्ताव है कि वरिष्ठ सहायक के पदोन्नति के आधार पर रिक्त 31 पदों को विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुरूप उन्हें सीमित अवधि के लिए यदि प्रतिनियुक्ति/नियत मानदेय के आधार पर सेवाएं लिए जाने हेतु तथा सहायक लेखाकार के रिक्त 08 पदों पर प्रतिनियुक्ति/नियत मानदेय के आधार निम्न व्यवस्था के अधीन पर सेवाएं लिया जाना है–

1– प्रस्ताव में केवल राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्मिकों को ही प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। अतः राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार एवं केन्द्र

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

सरकार के उपकमों में कार्यरत् कार्मिकों को सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

2— संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति हो जाने अथवा 03 वर्ष के लिये, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति की जायगी।

3— सेवानिवृत्त कार्मिकों के अधिकतम आयुसीमा 64 वर्ष अथवा संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति हो जाने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिये पुनर्नियुक्ति की जानी उचित होगी।

4— सेवानिवृत्त कार्मिकों से नियुक्ति किये जाने की स्थिति में शासन की नीति के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जाना होगा।

5— गैर—शैक्षिक संवर्ग हेतु प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अथवा नियत वेतन सम्बन्धी विज्ञाप्ति में निम्नानुसार संशोधन किया जाना वांछित है:—

गैर—शैक्षिक संवर्ग हेतु प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति/ सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनर्नियुक्ति हेतु नियत वेतन पर सम्बन्धी पर विज्ञप्ति का आलेख निम्नानुसार विवरण के अनुसार तैयार किया जाय।

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए नियत वेतन	शैक्षिक/अन्य अर्हता
1	वरिष्ठ सहायक	31	<u>प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु</u> रू0 5200—20220 ग्रेड पे—2800/— अथवा	1. कनिष्ठ सहायक के पद पर 05 वर्ष की सेवा का अनुभव। 2. हिन्दी अंग्रेजी में क्रमशः 25 शब्द एवं 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम् गति आवश्यक है। 3.डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सीसीसी प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण—पत्र।
			<u>सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु</u> नियत वेतन रू0 29100/—प्रतिमाह अथवा अंतिम आहरित वेतन पर निर्धारित पेंशन, जो भी कम हो।	**समान या उच्च पद से सेवानिवृत्त हुये हों। उक्त के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र का अनुभव तथा कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान को वरीयता दी जाएगी।**
2	सहायक लेखाकार	08	<u>प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु</u> रू0 5200—20220 ग्रेड पे—2800/—	1. वाणिज्य में स्नातक, लेखा लिपिक के रूप में 05 वर्ष का अनुभव, कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान रखने वाले को वरीयता।
			<u>सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु</u> नियत वेतन रू0 29100/— प्रतिमाह अथवा अंतिम आहरित वेतन पर निर्धारित पेंशन जो भी कम हो।	**समान या उच्च पद से सेवानिवृत्त हुये हों। उक्त के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र का अनुभव तथा कम्प्यूटर संचालन के ज्ञान को वरीयता दी जाएगी।**

विश्वविद्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशित करते हुए चयन की कार्यवाही पूर्ण किया जा सकता है, जिसमें समय भी कम लगेगा तथा विश्वविद्यालय की तात्कालिकता की आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी।

ध्यातव्य है कि प्रदेश सरकार में बहुत से ऐसे संस्थान होंगे, जहां कनिष्ठ सहायक/सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत कार्मिकों पदोन्नति के अभाव में सेवा का लाभ न मिल पाने के कारण इस विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर सेवाएं देने हेतु आकर्षित होंगे, जिनको विश्वविद्यालय में सीमित अवधि के लिए सेवा का अवसर प्राप्त हो सकेगा तथा अनुभवी, योग्य अभ्यर्थियों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार सेवानिवृत्त अनुभवी कार्मिकों की भी उक्त तालिकानुसार नियत मानदेय पर सेवाएं ली जा सकती है।

मा0 कार्य परिषद सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त सुविचारित प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

25/40	**अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विभागों के बी0टेक पाठ्यक्रमों में सहायक आचार्य की सेवाएं लिये जाने के सम्बन्ध में।**
	मा0 कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विभागों यथा– कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, में बी0टेक पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत सहायक आचार्य एवं तकनीकी संवर्ग के विभिन्न पदों पर सेवाएं (अनुबन्ध आधारित संविदा) लिये जाने हेतु प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2022–23 दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों का स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग किये जाने के उपरान्त पात्र/प्रोविजनल अभ्यर्थियों का चरणबद्ध तरीके से साक्षात्कार आयोजित किया गया, साक्षात्कार हेतु गठित चयन/साक्षात्कार समति अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के उपरान्त की गई संस्तुति के आधार पर विभिन्न विभागों में कुल 27 सहायक आचार्य के पद पर सेवायें निर्धारित वेतन (रूपये 57,700.00) प्रतिमाह की दर से विश्वविद्यालय में 11 माह के लिए संविदा आधरित सेवाएं लिए जाने हेतु कार्यवाही की गई। **मा0 कार्य परिषद विश्वविद्यालय द्वारा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के सहायक आचार्य की सेवाएं लिए जाने हेतु कृत कार्यवाही से संज्ञानित हुई।**
26/40	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।**
(1).	**उ0प्र0 राज्य के इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाओं/महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों के साथ–साथ संचालित अन्य समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–05(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत पूर्व में प्रचलित सम्बद्धता गाइड लाइन के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2015–16 से उ0प्र0 राज्य के इच्छुक संस्थाओं/महाविद्यालयों को विशेष शिक्षा के न्यूनतम् एक पाठ्यक्रम के संचालन के प्रतिबन्ध के अधीन अन्य पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत जो विश्वविद्यालय में संचालित नहीं थे यथा मेडिकल पाठ्यक्रम आदि की भी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान की जा रही थी जिससे विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने एवं उनके पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में उत्पन्न हो रही व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत् तत्समय की वस्तुस्थिति के आलोक में विश्वविद्यालय मा0 सामान्य परिषद की 6वीं बैठक दिनांक 20.08.2019 के निर्गत कार्यवृत्त 1084 दिनांक 28.08.2019 के बिन्दु संख्या–5/6 पर लिया गया निर्णय जो कि निम्नवत् है–

	विश्वविद्यालय की सम्बद्धता अध्यादेश के आलेख पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
5/6	निर्णयः–मा0 सामान्य परिषद द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय प्रदान किया गया कि "विश्वविद्यालय द्वारा संस्थाओं/महाविद्यालयों को केवल ऐसे ही पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, जो दिव्यांगता से सम्बन्धित हो तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के पुनर्वासन हेतु कार्यरत हो।" उक्त संशोधनों के साथ मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद से संस्तुत/अनुमोदित सम्बद्धता अध्यादेश/परिनियमावली पर मा0 सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा मा0 सामान्य परिषद द्वारा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, अधिनियम 2009 की धारा–5(दो) में उक्तानुसार संशोधन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यापित सम्बद्धता अध्यादेश/परिनियमावली–2018 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नवीन संस्थाओं को मात्र विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों में ही सम्बद्धता प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मा0 कार्यपरिषद यह भी अवगत होना चाहें कि वैश्विक महामारी कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थिति के दृष्टिगत् स्वैच्छिक सस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 एवं 2021–22 में सम्बद्धता हेतु कोई विशेष रूचि नहीं ली गई। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन की विज्ञप्ति पर मात्र विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों की ही सम्बद्धता के संदर्भ में उक्त पाठ्यक्रमों में सीमित अभ्यर्थी मिल रहे हैं, सीमित पाठ्यक्रम के कारण सम्बद्धता–आवेदन भी पर्याप्त संख्या में नहीं आते हैं, अथवा शैक्षिक संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता हेतु आवेदन में रूचि नही ली जा रही है। इस प्रकार विश्वविद्यालय अपने सम्पूर्ण उ0प्र0 कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अपने उद्देश्यों यथा समावेशी शिक्षा, दिव्यांगजन पुनर्वास, शिक्षा

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो0 राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

	का विस्तार, कौशल संवर्द्धन को सीमित रूप से ही पूर्ण कर पा रहा है जिसे विस्तारित किया जाना आवश्यक है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में संचालित विशेष शिक्षा संकाय के अधीन संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य संचालित पाठ्यक्रमों में भी दिव्यांगजन द्वारा पठन–पाठन करते हुए पुनर्वासन एवं कौशल विकास संवर्धन की ओर निरन्तर अग्रसर है। इसी परिप्रेक्ष्य में मा0 कार्य परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति की 25वीं बैठक दिनांक 12.07.2022 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक 1031 दिनांक 14.07.2022 के बिन्दु संख्या 7/25 पर सम्बद्धता समिति की बैठक में चर्चा हुई कि वर्तमान में मा0 सामान्य परिषद द्वारा दिनांक 20.08.2019 को 06वीं बैठक के बिन्दु संख्या–05/06 में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय, सम्बद्धता अध्यादेश 2018 व सम्बद्धता उपनियम, 2018 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत मात्र भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। परन्तु विश्विद्यालय द्वारा अधिनियम में वणित बहुद्देश्यों एवं सम्बद्धता हेतु दी गई व्यवस्थान्तर्गत समेकित शिक्षा के बहुमुखी विकास एवं दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु यह उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है कि विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रमों के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में भी इच्छुक संस्थाओं/महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान की जाय। मा0 कार्य परिषद द्वारा उपर्युक्त प्रकरण से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरान्त सम्बद्धता समिति द्वारा सर्वसम्मत से संस्तुत उपर्युक्त प्रस्ताव को विचारार्थ मा0 सामान्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
26/40 (2).	**विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अधीन संचालित विभागों में विशेष शिक्षक के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में विचार।**
	निर्णयः–मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अधीन संचालित विभागों (श्रवण बाधितार्थ एवं मानसिक मंदितार्थ) में विशेष शिक्षक के सृजित कुल 04 पदों में से 02 पद रिक्त होने के कारण विश्वविद्यालय के सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के पठन–पाठन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चूकि विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य निःशक्तजनों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करते हुए उन्हें मुख्यधारा में लाए जाने के प्रयास के अन्तर्गत की गयी हैं। मा0 परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वि विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा संकाय के अधीन संचालित विभागों (श्रवण बाधितार्थ एवं बौद्धिक अक्षमता) में विशेष शिक्षक के सृजित कुल 04 पदों में से 02 रिक्त पदों की भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया तथा डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमावली में प्राविधानित/विहित व्यवस्थानुसार चयन की अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
26/40 (3).	**वित्त समिति की 27वीं बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय की मा0 वित्त समिति की 27वीं बैठक में लिए गए निर्णयों से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया, जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
26/40 (4).	**विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास के पीछे एवं बी–होप हॉस्पिटल के पीछे बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास के पीछे एवं बी–होप हॉस्पिटल के पीछे बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव (कार्यदायी संस्था द्वारा आगणित धनराशि रु0 183.09 लाख) पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। मा0 परिषद में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में स्थापित महिला छात्रावास के पीछे विश्वविद्यालय की लगभग 02 एकड़ भूमि एवं बी–होप हॉस्पिटल के पीछे विश्वविद्यालय की लगभग 05 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय को आवंटित है। विश्वविद्यालय की उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण अनाधिकृत रूप से कब्जा होने की संभावना बनी रहती है, जिसके दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य कराया जाना आवश्यक है। मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि को सुरक्षित रखे जाने एवं विश्वविद्यालय में स्थापित महिला छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास के पीछे एवं बी–होप हॉस्पिटल के पीछे बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता के आधार पर कार्य को सम्पादित किया जाय।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ

26/40 (5).	**विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक कार्मिकों को चिकित्सा व्यवस्था सुविधा अनुमन्य कराए जाने के संबंध में।**
	निर्णयः– मा0 कार्य परिषद की आहूत बैठक में विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक कार्मिकों को चिकित्सा व्यवस्था सुविधा अनुमन्य कराए जाने के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए मा0 परिषद में उपस्थित मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकवृन्द एवं गैर–शैक्षिकों हेतु विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है जिससे विश्वविद्यालय में कार्यरत् शैक्षिक संवर्ग एवं गैर शैक्षिक संवर्ग को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किए जाने हेतु दो सदस्यीय समिति का गठन करने हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को निर्देश प्रदान किये गये।
	किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

(प्रो० राणा कृष्ण पाल सिंह)
कुलपति
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ